छत्तीसगढ़ विधान सभा

पंचम

मार्च, 2023 सत्र

बुधवार, दिनांक 01 मार्च, 2023 को

माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर

श्री मोहन मरकाम, सदस्य द्वारा

दिनांक 01 मार्च, 2023 को प्रस्तुत

कृतज्ञता–ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन की सूचनाएं

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में जिन माननीय सदस्यों के संशोधन प्राप्त हुए हैं उन सदस्यों के नाम निम्नानुसार हैं :–

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष
2. डॉ. रमन सिंह, सदस्य
3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
4. श्री पुन्नूलाल मोहले सदस्य
5. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य
6. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य
7. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
8. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य
9. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य
10. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य
11. श्री सौरभ सिंह, सदस्य
12. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य
13. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य
14. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य
15. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य
16. श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य
17. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य

इस संकलन में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में उपर्युक्त माननीय सदस्यों के ग्राह्य संशोधनों की सूचनाओं को ही सम्मिलित किया गया है। कुछ संशोधनों में आंशिक रूप से सुधार किया गया है।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में नई सिंचाई योजना का उल्लेख नहीं है, अपूर्ण सिंचाई योजनाओं को पूर्ण किये जाने की अवधि का उल्लेख नहीं है ।
2. प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़को के संधारण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने का उल्लेख नहीं है ।
4. प्रदेश में असंगठित श्रमिकों की समग्र नीति क्या होगी, कब तक बनेगी इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है।
5. राज्य कर्ज में डूब रहा है, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है।
6. मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के कार्यक्षेत्र या संसाधनों को बढ़ाने के संबंध में बजट का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में अवैध शराब बिक्री पर रोकथाम का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में इंदिरा पेंशन योंजना में राशि प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।
9. सरगुजा, बस्तर एवं सुपेबेड़ा में हवाई एम्बुलेंस की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में गौठान भूमि की उपलब्धता किये जाने का उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश में वनो की हो रही अवैध कटाई की रोकथाम का उल्लेख नहीं है।
12. छात्राओं को निःशुल्क गणवेश एवं पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
13. छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों के लिए चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश में 108 वाहनों की संख्या बढ़ाये जाने का उल्लेख नहीं है।
15. विधायक विश्राम गृह एवं विधायक निवास निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
16. हर ब्लॉक में 10 एकड़ जमीन पर उद्यानिकी बनाने का उल्लेख नहीं है।
17. मेडिकल कॉलेजों को मल्टी स्पेशियालिटी अस्पतालों में परिवर्तन करने का उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश में नक्सल समस्याओं के समाधान के लिए कोई नीति का उल्लेख नहीं है।
19. प्रदेश के किसानों को दो साल का बकाया बोनस राशि प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।
20. प्रदेश के निजी स्कूल की मनमानी रोकने फीस नियामक आयोग के गठन का कोई उल्लेख नहीं है।
21. वन ग्रामों के राजस्व ग्राम बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।

22. प्रत्येक पुलिस स्टेशन में वुमेन सेल प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

23. प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

24. प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण के लिए नीति का उल्लेख नहीं है।

25. धान खरीदी में व्याप्त अव्यवस्था को सुधारने का उल्लेख नहीं है।

26. बे–मौसम बारिश व ओलावृष्टि से परेशान किसानों के लिऐ मुआवजा राशि का उल्लेख नहीं है।

27. दैनिक मजदूरों के लिए सम्मानजनक आय सुनिश्चित करने का उल्लेख नहीं है।

28. महिलाओं के देर रात्रि यात्रा के लिए तकनीकी से लैस विशेष वाहन की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

29. प्रदेश में हाथियों से नुकसान होने पर 10 लाख रू. की राशि का मुआवजा दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

30. प्रदेश में बेरोजगारो को 2500 रू. प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

31. प्रदेश में शराब बंदी किये जाने संबंधी किसी बात का उल्लेख नहीं है।

32. पिछड़े वर्ग एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए प्रत्येक जिले में छात्रावास खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

33. प्रदेश में सिकलसेल के मरीजों को निःशुल्क ईलाज किये जाने संबंधी किसी योजना का उल्लेख नहीं है।

34. प्रदेश के दिव्यांगजनों को 1500 रू प्रतिमाह पेंशन दिये जान का उल्लेख नहीं है।

35. पेट्रोल व डीजल में वेट टैक्स कम करने का उल्लेख नहीं है।

36. लोकपाल अधिनियम में मुख्यमंत्री और मंत्री को भी लाये जाने का उल्लेख नहीं है।

37. जल संसाधन नीति बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।

38. बेमौसम वर्षा से रबी फसल खराब होने के कारण मुआवजा दिये जान का कोई उल्लेख नहीं है।

39. 60 वर्षीय किसानों को 1000 रू व 75 वर्षीय किसानों को 1500 रू प्रतिमाह पेंशन प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

40. सभी शहरी नागारीकों को 2 बीएचके आवास प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

41. जांजगीर–चांपा नगर में हसदों नदी पर नया पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।

42. जांजगीर–चाम्पा जिले के नवागढ़ में आईटीआई खोलने एवं ग्राम हरदी में हड़हामहान तक सड़क निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

43. शासकीय चिकित्सा विशेषज्ञों की भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।

44. प्रदेश में 200 फूडपार्क की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।

45. दो वर्षो से धान खरीदी का बकाया बोनस प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

46. स्कूल तथा कॉलेजों के विद्यार्थियों को परिवहन की मुफ्त सुविधा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

47. प्रदेश के विद्यामितान एवं अतिथि शिक्षकों को नियमित किये जाने का उल्लेख नहीं है।

48. प्रदेश में शिक्षाकर्मियों एवं कोटवारों के परिवारिक सदस्यों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

49. प्रदेश में हाथियों के विचरण के लिए कॉरीडोर स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।

50. प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।

51. प्रदेश में नगर सौनिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

52. जांजगीर–चांपा जिले के ग्राम कापन में शक्कर कारखाना खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

53. प्रदेश में जल संग्रहण को बढ़ावा देने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

54. प्रदेश में सीमेंट के दामों में वृद्वि की गई है, इसके रोकथाम की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

55. बुनकरो व शिल्पकारों के विकास के लिए किसी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

56. प्रदेश मे छोटे भू–खण्डों की रजिस्ट्री एवं नामांतरण तथा राजस्व रिकार्ड में नक्शा दुरूस्त करने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

57. प्रदेश में नये टाउनशिप एवं कॉलोनी निर्माण हेतु किसी योजना का उल्लेख नहीं है।

58. प्रदेश में सीवरेज का पानी नदी में जाने से रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

59. प्रदेश में कुपोषण से मुक्त करने हेतु कार्यायोजना का उल्लेख नहीं है।

60. प्रदेश में चिटफंड कंपनी के जमाकर्ताओं की राशि की वापसी का कराये जाने का उल्लेख नहीं है।

61. धान से इथेनाल बनाने पर प्रति लीटर आने वाले खर्च का उल्लेख नहीं है।

62. कृषकों को पेंशन योजना में जोड़ने का उल्लेख नहीं है।

63. लोकपाल के अंतर्गत मुख्यमंत्री, मंत्रियों व प्रशासनिक अधिकारियों को लाने का उल्लेख नहीं है।

64. प्रदेश की नदियों के कटाव को रोकने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

65. प्रदेश में पुलिस विभाग के आधुनिकीरण का उल्लेख नहीं है।

66. प्रदेश में सभी निर्माण कार्य बंद है, निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने का उल्लेख नहीं है।

67. प्रदेश में हो रहे अवैध रेत खनन को रोकने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

68. प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

69. प्रदेश में भू–माफिया बढ़ रहे हैं, रोकथाम के उपायों का उल्लेख नहीं है।

70. वनों के समुचित संर्वधन एवं संरक्षण हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

71. प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों के स्थापन का उल्लेख नहीं है।

72. प्रदेश में उद्यानिकी फसलों का रकबा बढ़ाने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

73. प्रदेश के मजदूरों का पलायन रोकने के लिए कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

74. प्रदेश में गरीब महिलाओं एवं बहनों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

75. समस्त शासकीय लिपिक वर्ग के वेतन विसंगति दूर कर वेतनमान में सुधार का उल्लेख नहीं है।

76. प्रदेश में कितने नरवा बनाये गये तथा इससे कितने लोग लाभान्वित हुए का उल्लेख नहीं है।

77. प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एवं उनके परिजनो को निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

78. नागरिक सेवाओं के विस्तार कर घर पहुंच सेवा के उचित क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।

79. प्रदेश के नगरीय निकायों में नियमितिकरण के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

80. प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के ठोस उपायों का उल्लेख नहीं है।

81. तहसील मुख्यालय नवागढ़ में एस.डी.एम. कार्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

82. जिला मुख्यालय जांजगीर में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

83. जांजगीर –चांपा जिले के ग्राम सिऊड़ में संचालित हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन कर नवीन भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

84. जांजगीर–चांपा जिला के ग्राम बरबसपुर में संचालित प्राथमिक शाला को मिडिल स्कूल में उन्नयन कर नवीन भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

85. जांजगीर–चांपा जिला के ग्राम चौराभाठा के जर्जर मिडिल स्कूल हेतु नवीन भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

86. जांजगीर–चांपा जिला के ग्राम पिसौद में संचालित हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी मे उन्नयन कर नवीन भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

87. जांजगीर–चांपा जिला के ग्राम रोगदा में संचालित हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी मे उन्नयन कर नवीन भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

88. जांजगीर–चांपा जिला के ग्राम कुथुर में संचालित मिडिल स्कूल को हाई स्कूल मे उन्नयन कर नवीन भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

89. जांजगीर–चांपा जिला के ग्राम कांस में संचालित मिडिल स्कूल का हाई स्कूल मे उन्नयन कर नवीन भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

90. प्रदेश के लोक कलाकारों को उचित सम्मान दिये जाने एवं लोक संस्कृति को बढ़ावा दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

91. प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान कर समस्त प्रशिक्षण प्राप्तकर्ताओं को शत प्रतिशत नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध काराने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

92. प्रदेश के अस्पतालों में दवाईयों, उपकरणों एवं पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं अन्य स्टॉफ उपलब्ध कराने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

93. प्रदेश के वृद्धजनों को तीर्थ दर्शन हेतु तीर्थ यात्रा योजना प्रारंभ किये जाने का उल्लेख नहीं है।

94. निर्धन कन्या विवाह हेतु योजना प्रारंभ किये जाने का उल्लेख नहीं है।

2. डॉ. रमन सिंह, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. ग्राम–मनगटा, जिला–राजनांदगांव के हाई स्कूल भवन निर्माण के संबंध में उल्लेख नहीं है।
2. राजनांदगांव जिले के ग्राम–पटेवा में निर्माणाधीन कलडबरी, घुमका, पटेवा रोड चौड़ीकरण का मुआवजा भुगतान किये जाने का उल्लेख नहीं है।
3. राजनांदगांव जिले की ग्राम–पंचायत जंगलेश्वर का मोखला एनीकट काजवे प्रोटेक्शन कार्य पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है ।
4. राजनांदगांव जिले की ग्राम–नवागांव (मुढ़ीपार) में मुढ़ीपार बांध के टूटे हुए बांध की मरम्मत किये जाने का उल्लेख नहीं है।
5. राजनांदगांव जिले के ग्राम–पंचायत नवागांव में लिफ्ट इरिगेशन से सिंचाई किये जाने का उल्लेख नहीं है।
6. ग्राम–पंचायत पारीखुर्द के साहूपारा में सामुदायिक भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
7. जिला–राजनांदगांव के निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना के भवनों को पूर्ण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. राजनांदगांव जिले में स्थापित बी.एम.सी. मिल को चालू किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
9. राजनांदगांव दिग्विजय स्टेडियम को पूर्ण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
10. राजनांदगांव जिले के बूढ़ा सागर के सौंदर्यीकरण का कार्य पूर्ण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
11. राजनांदगांव जिले के साल्हेवारा नर्मदा सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कलेक्टर दर पर भुगतान किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है ।
13. वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
14. महिला स्व–सहायता समूहों की कर्ज माफी का विभागीय बजट में कोई उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाये जाने का उल्लेख नहीं है।
16. बेरोजगारों को न्यूनतम 2500 रूपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने एवं विगत 4 वर्षों का एरियर्स देने का कोई उल्लेख नहीं है।

17. तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारियों के लिए चार स्तरीय उच्चतर वेतनमान लागू करने का कोई उल्लेख नहीं है।

18. राजनांदगांव जिले के समस्त औपचारिकता पूर्ण ट्यूबवेल के लंबित आवेदनों के ऊर्जीकरण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

19. प्रदेश में बुनकरों एवं शिल्पकारों को रोजगार मुहैया कराने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

20. राजनांदगांव नगर निगम को अमृत मिशन के तहत खरखरा बांध से जल प्रदाय करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

21. राजनांदगांव जिले में मृतप्रायः भानपुरी डायवर्सन योजना को पुनर्जीवित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

22. जिला–कबीरधाम में कर्रा नाला बैराज के विस्तार एवं जीर्णोद्धार संबंधी कोई उल्लेख नहीं है।

23. प्रदेश में धान की बिक्री पर किसानों को दो साल का बकाया बोनस देने का कोई उल्लेख नहीं है।

24. प्रदेश के किसानों को पूरा बिजली बिल माफ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

25. प्रदेश के हर जिले में फूड पार्क स्थापना करने का कोई उल्लेख नहीं है।

26. प्रदेश में मनरेगा योजना के लंबितों का भुगतान किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

27. प्रदेश के किसानों को रबी फसल का बोनस देने का कोई उल्लेख नहीं है।

28. प्रदेश में पिछले वर्ष खरीदी गई धान में से खराब हुए धान के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

29. प्रदेश में सोलर योजनान्तर्गत नेट बिलिंग योजना लागू करने का कोई उल्लेख नहीं है।

30. वार्ड नं. 8 रामनगर राजनांदगांव में स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान में सी.सी. रोड निर्माण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

31. ग्राम–धामनसरा जिला–राजनांदगांव में आदिवासी समाज हेतु भवन निर्माण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

32. राजनांदगांव जिले में बीमार गौवंश हेतु एम्बुलेंस की व्यवस्था किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

33. कृषि महाविद्यालय सुरगी जिला–राजनांदगांव में निर्मित बालक एवं बालिका छात्रावास हेतु पेयजल व्यवस्था किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. अवैध निर्माण के नियमितीकरण का उल्लेख नहीं है ।
2. आवारा पशुओं से किसानों को मुक्ति संबंधी कोई उल्लेख नहीं है।
3. ई. फ्रॉड रोकने का उल्लेख नहीं है।
4. फूल, फल एवं सब्जी, किसानों की सुविधाओं के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
5. बारनवापारा अभ्यारण्य के विकास का उल्लेख नहीं है।
6. फर्जी डिग्री से फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने वालो पर कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।
7. सड़क दुर्घटना रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. राजधानी रायपुर के यातायात समस्या से निजात दिलाने का उल्लेख नहीं है ।
9. जल जीवन मिशन के कार्य समय सीमा हों, का उल्लेख नहीं है।
10. जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार पर कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।
11. अमृत मिशन के कार्यो को समय सीमा में पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।
12. मजदूरों के हितों का उल्लेख नहीं है।
13. शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क चौडीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।
14. अटल एक्सप्रेस वे को प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
15. स्काईवॉक पर निर्णय लेने का उल्लेख नहीं है।
16. खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देने का उल्लेख नहीं है।
17. बायपास सड़कों के निर्माण का उल्लेख नहीं है।
18. खिलाड़ियो के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।
19. चार सालों से खिलाड़ियों को आर्थिक पुरस्कार प्रदाय का उल्लेख नहीं है।
20. उत्कृष्ट खिलाड़ियों की चार साल से घोषणा का कोई उल्लेख नहीं है।
21. खिलाड़ियो की सुविधाओं का उल्लेख नहीं है।
22. खेल संबंधी कोई उल्लेख नहीं है।
23. लोक कला को बढ़ावा देने का कोई उल्लेख नहीं है।
24. स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का प्रदेश में लागू का उल्लेख नहीं है।
25. चयनित हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिले का उल्लेख नहीं है।
26. किसानों को दो साल का बकाया बोनस वितरण का कोई उल्लेख नहीं है।

27. शराब बंदी का उल्लेख नहीं है।

28. बेरोजगारों को रोजगार देने का उल्लेख नहीं है।

29. हर घर रोजगार – घर–घर रोजगार का उल्लेख नहीं है।

30. शहरो के विकास का उल्लेख नहीं है।

31. किसानों के पूर्ण कर्ज माफी का उल्लेख नहीं है।

32. एम. एस. पी. की बढ़ी हुई दर से किसानों को भुगतान का उल्लेख नहीं है।

33. बिजली बिल की भयावह वृद्धि को रोकने का उल्लेख नहीं है।

34. 10 लाख बेरोजगारों को 2500/– प्रतिमाह देने का उल्लेख नहीं है।

35. सर्व विधवा पेंशन योजना के तहत महिलाओं को 1000/– प्रतिमाह पेंशन का उल्लेख नहीं है।

36. प्रधानमंत्री खद्यान्न योजना का चांवल/चना हितग्राहियों को मिलने का उल्लेख नहीं है।

37. यूनिवर्सल हेल्थ केयर कार्ड का उल्लेख नहीं है।

38. ग्रामीण भूमिहीन को बाडी एवं आवास हेतु जमीन देने का उल्लेख नहीं है।

39. शहरी आवासहीन परिवारों को मकान देने का उल्लेख नहीं है।

40. भूमिहीन कब्जाधारियों को पट्टा देने का उल्लेख नहीं है।

41. हाथी–मानव द्वन्द रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

42. वनों के अवैध कटाई रोकने का उल्लेख नहीं है।

43. जंगली जानवरों के अवैध शिकार को रोकने का उल्लेख नहीं है।

44. पर्यटन स्थल के विकास की नीति का उल्लेख नहीं है।

45. प्रायमरी से हायर सेकण्डरी स्कूल तक कृषि शिक्षा के लिये उल्लेख नहीं है।

46. तेंदूपत्ता प्रबंधकों को तृतीय वर्ग कर्मचारी का दर्जा संबंधी कोई उल्लेख नहीं है।

47. फंड मुंशियों को पर्याप्त मानदेय का उल्लेख नहीं है।

48. D M F फंड के लूट को रोकने का उल्लेख नहीं है।

49. 2% वन क्षेत्र में वृद्धि का उल्लेख नहीं है।

50. जवाहर सेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

51. वन ग्राम को राजस्व ग्राम बनाने का उल्लेख नहीं है।

52. दुकानदारों/व्यापारियों की बिजली बिल की दर कम करने का उल्लेख नहीं है।

53. शासकीय कर्मचारियों को समयबद्ध क्रमोन्नति का उल्लेख नहीं है।

54. शिक्षा लोन पर अनुदान का कोई उल्लेख नहीं है।

55. विद्यार्थी कल्याण योजना का उल्लेख नहीं है।

56. बस्तर, सरगुजा, सूपेबेड़ा के लिये एयर एम्बुलेंस सेवा का कोई उल्लेख नहीं है।

57. 108 एम्बुलेंस बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है।

58. विशेषज्ञ चिकित्सक, चिकित्सक, टेक्नीशियन, नर्स, स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।

59. गिरौदपुरी, भण्डारपुरी, खंडवा, तेलासी, बाराडेरा, चटवा के विकास के लिये योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

60. 16 मेडिकल कॉलेज को मल्टी सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल में बदलने का कोई उल्लेख नहीं है।

61. दिव्यांग पेंशन 1500/– करने का उल्लेख नहीं है।

62. इंदिरा पेंशन योजना का उल्लेख नहीं है।

63. सभी जिला मुख्यालय में वृद्धाश्रम का उल्लेख नहीं है।

64. वरिष्ठ नागरिक पोषण आहार योजना का उल्लेख नहीं है।

65. फुलवारी स्थापना का उल्लेख नहीं है।

66. महतारी सम्मान योजना का 500/– देने का उल्लेख नहीं है।

67. जिलों में कामकाजी महिला छात्रावास भवन का निर्माण का उल्लेख नहीं है।

68. सभी जिला मुख्यालय में कन्या महाविद्यालय/छात्रावास का उल्लेख नहीं है।

69. चिटफंड निवेशकों का पैसा वापसी का उल्लेख नहीं है।

70. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को समुचित आरक्षण का उल्लेख नहीं है।

71. अनुसूचित जाति को आरक्षण के लाभ का कोई उल्लेख नहीं है।

72. सामान्य वर्ग के बी पी एल को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण का उल्लेख नहीं है।

73. छात्रों को निःशुल्क तकनीकी एवं व्यवासायिक शिक्षा का उल्लेख नहीं है।

74. जाति प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र का सरलीकरण का उल्लेख नहीं है।

75. अवैध रेत खनन रोकने का उल्लेख नहीं है।

76. रेत, मुरम, गिट्टी, सीमेंट सहित निर्माण सामग्री के बढ़ते दर को रोकने का उल्लेख नहीं है।

77. बकरी पालन, सुअर पालन की उपयुक्त योजना का उल्लेख नहीं है।

78. उपयुक्त उद्यानिकी नीति का उल्लेख नहीं है।

79. हर ब्लॉक में 100 एकड़ बंजर जमीन पर उद्यानिकी पायलट प्रोजेक्ट का उल्लेख नहीं है।

80. कृषि औद्योगिक निगम का गठन का उल्लेख नहीं है।

81. जल उपभोक्ता संघों में चुनाव का उल्लेख नहीं है।

82. रोजगार आयोग का गठन का उल्लेख नहीं है।

83. शासकीय नौकरी में आउट सोर्सिंग बंद करने उल्लेख नहीं है।

84. ग्राम पंचायतों में युवाओं को कौशल उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

85. खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी उल्लेख नहीं है।

86. देश के महानगरों में यूथ हॉस्टल के निर्माण का उल्लेख नहीं है।

87. महिला अपराध रोकने कोई ठोस नीति का उल्लेख नहीं है।

88. 75 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1500/– प्रतिमाह पेंशन का उल्लेख नहीं है।

89. स्कूल/कॉलेज के छात्र–छात्राओं को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन का उल्लेख नहीं है।

90. 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को 1000/– का प्रतिमाह पेंशन का उल्लेख नहीं है।

91. राजीव मित्र योजना का उल्लेख नहीं है।

92. महिला स्व. सहायता समूहों की कर्जमाफी का उल्लेख नहीं है।

93. मनरेगा का विस्तार का उल्लेख नहीं है।

94. उपयुक्त जल नीति का उल्लेख नहीं है।

95. बोधघाट परियोजना का उल्लेख नहीं है।

96. सिंचित क्षेत्र दुगुना करने का उल्लेख नहीं है।

97. 200 फुड पार्क की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

98. लोकपाल अधिनियम लागू का उल्लेख नहीं है।

99. नक्सल समस्या समाधान करने का उल्लेख नहीं है।

100. विशेष सुरक्षा कानून का उल्लेख नहीं है।

101. हाथी–मानव द्वन्द रोकने संबंधी नीति का उल्लेख नहीं है।

102. वैज्ञानिक आयोग की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

103. सामुदायिक कृषि क्षेत्र स्थापना के लिये योजना का उल्लेख नहीं है।

104. ड्रिप सिंचाई की योजना का उल्लेख नहीं है।

105. स्टॉप डेम, नदी, नाला, तालाबों के पुनर्जीवित करने के लिये योजना का उल्लेख नहीं है।

106. किसानों को सिंचाई सुविधा हेतु नियमित विद्युत कनेक्शन का उल्लेख नहीं है।

107. मंडी शुल्क समाप्त का उल्लेख नहीं है।

108. कोयला रॉयल्टी चोरी रोकने का उल्लेख नहीं है।

109. शहरी क्षेत्र में सम्पत्ति कर को आधा (50 प्रतिशत कम) करने का उल्लेख नहीं है।

110. कचरा मुक्त शहर के लिये कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

111. पुलिस कल्याण कोष की कोई ठोस योजना का उल्लेख नहीं है।

112. किसानों को पेंशन योजना का उल्लेख नहीं है।

113. छात्र अनुपात में शिक्षकों की भर्ती का उल्लेख नहीं है।

114. दिवंगत शिक्षाकर्मियों के परिवार को अनुकम्पा नियुक्ति का उल्लेख नहीं है।

115. पर्यटन क्षेत्रों के विकास की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

116. किसानों को कृषि उपकरण प्रदाय करने का उल्लेख नहीं है।

117. राजधानी रायपुर के विकास के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

118. छत्तीसगढ़ में जनता के ईलाज के लिये समुचित व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

119. प्रदेश में गंभीर औद्योगिक प्रदूषण की समस्या के रोकथाम का उल्लेख नहीं है।

120. प्रदेश में गिरते भू जल स्तर की गंभीर समस्या का उल्लेख नहीं है।

121. खराब सड़कों का सुधारने संबंधी कोई उल्लेख नहीं है।

122. स्कूली शिक्षा के स्तर में कोई प्रभावी बदलाव का उल्लेख नहीं है।

123. कानून व्यवस्था की समस्या का उल्लेख नहीं है।

124. रायपुर राजधानी सहित प्रदेश भर में हो रहे खूलेआम चाकूबाजी रोकने का उल्लेख नहीं है।

125. प्रदेश में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

126. शासकीय कर्मचारियों को चार स्तरीय वेतनमान का उल्लेख नहीं है।

127. दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियमितीकरण का उल्लेख नहीं है।

128. अनियमित कर्मचारियों की नियमितीकरण का उल्लेख नहीं है।

129. अमूल मॉडल दुग्ध संघ/समिति का गठन का उल्लेख नहीं है।

130. पत्रकार सुरक्षा कानून का उल्लेख नहीं है।

131. घर पहुंच सरकारी सेवा के कागजी घोषणा के क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।

132. दुग्ध हेतु सभी जिलों में चिलिंग प्लांट व चिलिंग वाहन का उल्लेख नहीं है।

133. धर्मान्तरण रोकने का उल्लेख नहीं है।

134. जैविक खेती को बढ़ावा देने कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

135. सभी गांवों में महिला सामुदायिक भवन का उल्लेख नहीं है।

136. बच्चों में एनिमिया रोग के बढ़ते प्रभाव को रोकने कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

137. आंगनबाड़ियों में शौचालय सुविधा का उल्लेख नहीं है।

138. सुपेबेडा के किडनी मरीजों के ईलाज के लिये योजना का उल्लेख नहीं है।

139. स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के नाम पर हिन्दी मीडियम स्कूल को बंद करने को लेकर कोई उल्लेख नहीं है।

140. स्वामी आत्मानंद स्कूल में भारी भ्रष्टाचार रोकने का उल्लेख नहीं है।

141. कोल माफिया के खिलाफ कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।

142. शराब माफियाओं के ऊपर ठोस कार्यवाही हेतु नीति का उल्लेख नहीं है।

143. छत्तीसगढ़ को नशा का हब बनने से रोकने हेतु नीति का उल्लेख नहीं है।

144. गांजा माफिया पर कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।

145. शासकीय जमीन पर अवैध कब्जों को हटाने का उल्लेख नहीं है।

146. अवैध प्लाटिंग के ऊपर कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।

147. स्मार्ट सिटी, अटल नगर रायपुर में व्यापक भ्रष्टाचार पर कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।

148. स्मार्ट सिटी, रायपुर के भ्रष्टाचार को रोकने व कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।

149. नई राजधानी के किसानों की मांगों को पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।

150. फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय नौकरी कर रहे लोगों को हटाने पर्याप्त प्रयास का उल्लेख नहीं है।

151. बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से बर्बाद फसल के मुआवजा का उल्लेख नहीं है।

152. जल प्रदूषण रोकने कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

153. वायु प्रदूषण रोकने कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

154. प्रदेश को कर्ज के बोझ से उबारने का उल्लेख नहीं है।

155. विधान सभा परिषद गठन का उल्लेख नहीं है।

156. राजस्व न्यायलयों का जवाबदेही का उल्लेख नहीं है।

157. नगर सैनिकों की वेतन वृद्धि का उल्लेख नहीं है।

158. विद्या मितान का नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।

159. शासकीय स्कूलों में खेल शिक्षकों की नियुक्ति का उल्लेख नहीं है।

160. नगरीय निकाय में शामिल गावों के विकास की योजना का उल्लेख नहीं है।

161. लम्बित अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण का निराकरण की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

162. सभी विकासखण्ड में आदर्श विद्यालय का कोई उल्लेख नहीं है।

163. कमीशन के अतिरिक्त मितानिनों का 5000/– मासिक वेतन का उल्लेख नहीं है।

164. महिला सुरक्षा हेतु तिरंगा आटो का उल्लेख नहीं है।

165. श्रम योजना के कार्डधारियों को श्रम योजना का लाभ का उल्लेख नहीं है।

166. असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को कलेक्टर दर पर मजदूरी का उल्लेख नहीं है।

167. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को दैनिक वेतन भोगी दर पर वेतन का उल्लेख नहीं है।

168. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का नर्सरी शिक्षक के रूप में उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

169. बच्चों की कुपोषण से मौत रोकने कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

170. जामवंत योजना का उल्लेख नहीं है।

171. मठपुरैना में 100 बिस्तर अस्पताल का उल्लेख नहीं है।

172. किसानों का दीर्घकालीन व मध्यमकालीन ऋण माफ करने का उल्लेख नहीं है।

173. किसानों का राष्ट्रीकृत बैंक का कर्ज माफ का उल्लेख नहीं है।

174. दिव्यांगों के लिये कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

4. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में जर्जर क्षतिग्रस्त सड़को की मरम्मत हेतु कोई उल्लेख नहीं है ।
2. प्रदेश में हो रहे धर्मान्तरण को रोके जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
3. भवन विहिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये नवीन भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है ।
4. किसानों की समस्याओं यथा बटांकन, सीमांकन के निराकरण का कोई उल्लेख नहीं है।
5. शुद्धपेय जल की समुचित व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।
6. विमानन सेवाओं के विस्तार एवं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का कोई उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में सिंचाई क्षमताओं में वृद्धि किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. नवीन जिला/अनुभाग एवं तहसीलों में मूलभूत विकास का कोई उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में सड़कों के विस्तार/मरम्मत जिर्णोधार का कोई उल्लेख नहीं है ।
10. प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों के रोजगार उपलब्ध कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
11. विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं को शासकीय सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का कोई उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश के चिकित्सालयों में चिकित्सा अधिकारी/विशेषज्ञ की नियुक्ति कोई का उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के सर्वांगीण विकास का कोई उल्त्लेख नहीं है।
14. प्रदेश में नवीन सामुदायिक/प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है ।
15. प्रदेश के चिकित्सालयों में पैरा मेडिकल स्टॉफ की प्रतिपूर्ति का कोई उल्लेख नहीं है।
16. ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रदान किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
17. झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के समुचित आवास का कोई उल्लेख नहीं है।
18. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध ब्लास्टिंग को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
19. बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा एवं अधोसंरचना के विकास का कोई कारगर उपाय किये जाने का उल्लेख नहीं है।
20. किसानों को प्रमाणिक बीज एवं खाद उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।
21. प्रदेश के युवाओं के कौशल विकास किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

22. प्रदेश में अन्त्योदय/प्राथमिकता/एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन लोगों के लिये नये राशन कार्ड बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।

23. महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध घटित हो रहे यौन अपराध को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

24. प्रदेश में हत्या, लुट, डकैती, बलात्कार घोर संगीन अपराधों को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

25. प्रदेश में धड़ल्ले से हो रहे अवैध मादक पदार्थो की परिवहन एवं बिक्री पर अंकुश लगाने का कोई उल्लेख नहीं है।

26. प्रदेश में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के मूलभूत विकास की योजनाओं का कोई उल्लेख नहीं है।

27. प्रदेश के किसानों को समय–सीमा पर विद्युत कनेक्शन प्रदान किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

28. प्रदेश के डिफॉल्टर किसानों के ऋण माफ किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

29. प्रदेश के खिलाड़ियों को मूलभूत सुविधायें प्रदान किये जाने एवं उन्हें रोजगार उपलब्ध कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

30. शासकीय कर्मचारियों के चार स्तरीय वेतनमान का कोई उल्लेख नहीं है।

31. प्रदेश के पात्र व्यक्तियों का प्रधानमंत्री आवास प्रदाय किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

32. प्रदेश के अनु. जाति/अनु. जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को शासकीय सेवा उपलब्ध कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

33. खेल अकादमी की स्थापना हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

34. प्रदेश में प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक शालाओं के उन्नयन/भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

35. आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के संचालन हेतु स्वयं का भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

36. प्रदेश में संचालित आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल स्वयं का भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

37. प्रदेश के दिवंगत शिक्षकों के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

38. प्रदेश में किसानों को केन्द्रीय व राजकीय योजनाओं की जानकारी व जागरूक करने के लिये कोई उल्लेख नहीं है।

39. बिलासपुर से मंडला व्हाया मुंगेली रेल लाईन तथा राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

40. अनियमित कर्मचारियों के लिये कोई उल्लेख नहीं है।

41. जैविक खेती व सबसीडी के लिये कोई उल्लेख नहीं है।

42. बाबा गुरू घासीदास की जन्मभूमि में सौन्दर्यीकरण एवं नवनीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।

43. जिला मुंगेली के फास्टरपुर एवं सेतगंगा को पर्यटन स्थल घोषित करने एवं सौन्दर्यीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।

44. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं मितानीनों को नियमित नियुक्ति एवं मानदेय वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है ।

5. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. नदी तट हेतु वृक्षारोपण योजना के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है ।
2. छ.ग. राज्य वन विकास निगम के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
3. कैम्पा योजना में प्रचलित कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।
4. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड अंतर्गत कार्य का उल्लेख नहीं है।
5. राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में खनिज क्षेत्र के योगदान का उल्लेख नहीं है।
6. खनिजों से प्राप्त राजस्व आयकर का उल्लेख नहीं है।
7. मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
8. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है।
9. छ.ग. राज्य विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
10. वाहन पंजीयन शुल्क में छूट के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
11. मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है ।
12. मुख्यमंत्री मजरा–टोला विद्युतीकरण योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
13. एकीकृत विद्युत विकास योजना के संबंध में उल्लेख नहीं है।
14. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
15. हाफ बिजली बिल स्कीम योजना के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
16. मुख्यमंत्री एल.ई.डी. लैम्प वितरण योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
17. नवीन सरोवर धरोहर योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
18. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
19. उन्मुक्त जेल मैदान योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
20. पुष्प वाटिका उद्यान योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
21. राजीव गांधी न्याय योजना अंतर्गत किसानों को धान खरीदी का एक साथ राशि भुगतान करने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
22. प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धा पेंशन देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।
23. वरिष्ठ नागरिकों को पौष्टिक आहार प्रदाय करने हेतु किसी भी योजना का उल्लेख नहीं है।
24. जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

25. प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को चिकित्सा मित्र के तौर पर नियुक्ति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

26. प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में हवाई एम्बुलेंस सेवा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

27. प्रदेश विधायी कल्याण हेतु कोई योजना के बारे में उल्लेख नहीं है।

28. प्रदेश में ब्लाक स्तरीय आदर्श विद्यालयों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

29. प्रदेश में रिक्त 50,000 शिक्षकों की भर्ती हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

30. प्रदेश के जिलों में कन्या पॉलिटेक्निक संस्थायें प्रारंभ या खोले जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

31. ग्राम सभा को सामुदायिक वनाधिकार कानून के तहत वन संवर्धन, संरक्षण का अधिकार देने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

32. गौंण खनिज के उत्खनन हेतु बेरोजगार युवकों की समिति बनाने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

33. तेंदूपत्ता, प्रबंधकों को तृतीय वर्ग कर्मचारियों को दर्जा देने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

34. हाथी मानव द्वंद के रोकथाम हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

35. प्रदेश के प्रभावित ग्राम पंचायतों को 01 करोड़ की विकास निधि प्रदान करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

36. ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति कर समाप्त करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

37. ग्रामीण परिवारों के लिए प्रतिवर्ष 04 मुफ्त गैस सिलेण्डर प्रदान करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

38. प्रत्येक ग्राम पंचायतों में आधुनिक स्ट्रीट लाईट लगाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

39. प्रदेश में लोक कला को बढ़ावा देने के लिए शहरों में सांस्कृतिक केन्द्र खोले जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

40. शहरों में ग्रीन एरिया को बढ़ावा हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

41. विकेंद्रीकृत और विद्युतीकरण मॉडल को प्रोत्साहित करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

42. प्रदेश में बिजली दरों में कमी करने संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

43. पुलिस कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा कल्याण कोष की अनुदान राशि का वितरण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

44. प्रदेश में फोरेंसिक लैब की स्थापना हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

45. प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में सुसज्जित खेल परिसर व बिस्तर युवा छात्रावास के निर्माण के संबंध में उल्लेख नहीं है।

46. प्रदेश के खेलों का उत्थान हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

47. राष्ट्रीय एवं खेलों इंडिया व सिविल खेल के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि प्रदाय करने के संबंध में कुछ नहीं है।

48. प्रदेश के प्रत्येक स्कूलों में खेल शिक्षकों की भर्ती हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

49. आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

50. शारीरिक शिक्षा कॉलेज स्थापित किये जाने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

51. प्रदूषण मुक्त उद्योगों के लिए भूमि आवंटन हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

52. पत्रकार कल्याण हेतु प्रदेश के पत्रकारों के लिए कोई उल्लेख नहीं है।

53. प्रदेश के अधिवक्ताओं के आवास हेतु छ.ग. हाउसिंग योजना बनाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

54. प्रदेश के मितानिनों को प्रोत्साहन राशि बढ़ाने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

55. प्रदेश में कानून व्यवस्था सुचारू बनाने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

56. प्रदेश में हो रहे महिलाओं के साथ उत्पीड़न व दुष्कर्म के रोकथाम हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

57. प्रदेश में निरंतर बढ़ रहे साइबर ठगों के रोकथाम हेतु कोई उल्लेख नहीं की गई है।

58. प्रदेश के ग्राम पंचायतों में सरपंचो के अधिकार व ग्राम सभा के अधिकारों को प्रदाय करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

59. प्रदेश में हेवी टन क्षमता वाली सड़क निर्माण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

60. प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन देने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

61. पौधा प्रदाय योजना के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

62. नेशनल लाइवस्टॉक मिशन योजना का उल्लेख नहीं है।

63. मछुवारों को नवीनतम तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हेतु तीन दिवसीय उन्नयन कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है।

64. मत्स्य प्रजनन बैंक की स्थापना मत्स्य पालकों की प्रजनन की आपूर्ति व आर्थिक सहायता का उल्लेख नहीं है।

65. मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

66. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

67. संतुलित एवं परिपूरक आहार के प्रयोग हेतु सहायता का कोई उल्लेख नहीं है।

68. मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

69. तालाबों में अंगुलिका संचयन कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है।

70. तालाबों हेतु सीफेम्स वितरण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

71. राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

72. प्रदेश सभी वर्गों के परिवारों को निःशुल्क 35 किलो चावल प्रदान करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

73. बी.पी.एल. श्रेणी के सामान्य विद्यार्थियों को निःशुल्क तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के संबंध में उल्लेख नहीं है।

74. sc\st\obc के छात्रों को स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति व बकाया राशि प्रदान करने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

75. sc\st\obc व ews किसानों को निःशुल्क सिंचाई हेतु पंप तथा विद्युत कनेक्शन देने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

76. मांझी, मुखिया एवं चालकों को दिए जाने वाले भत्ते की बढ़ोत्तरी हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

77. आदिवासियों के धार्मिक स्थलों के संरक्षण तथा उनके सुधार व विकास के लिए सहायता राशि प्रदान करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

78. समाज उत्थान हेतु गिरौदपुरी, भंडारपुरी को उत्थान केन्द्र बनाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

79. बस्तर और सरगुजा में राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय बनाने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

80. प्रदेश के अल्पसंख्यकों को स्व–रोजगार प्रदान करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

81. अल्पसंख्यक विकास कार्यक्रमों को चरणबद्ध तरीके से तैयार करने हेतु कोई बात नहीं की गई है।

82. प्रदेश के दिव्यांगों को सम्मान हेतु कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

83. दिव्यांगों को जो पेशन पात्र है, उनके लिए कोई उल्लेख नहीं है।

84. दिव्यांग महिलाओं के विवाह हेतु वित्तीय सहायता के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

85. सिकल सेल के मरीजों को निःशुल्क इलाज एवं खून प्रदाय करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

86. प्रदेश में आदिवासी पर्व सम्मान निधि की घोषणा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

87. नरवा, घुरवा, बाड़ी कार्यक्रम के बजट के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

88. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

89. सूक्ष्म सिंचाई और सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

90. मिनीमाता बांगो परियोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

91. केलो परियोजना संचालन संबंधी कोई उल्लेख नहीं है।

92. प्रधानमंत्री जन–धन योजना की जानकारी व लाभान्वित हेतु कोई बात नहीं की गई है।

93. रूपे कार्ड भुगतान योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

94. मुद्रा योजना छोटे गैर कार्पोरेट के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसका कोई उल्लेख नहीं है।

95. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

96. सुकन्या समृद्धी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

97. अटल पेंशन योजना प्रतिमाह कितना पेंशन देता है इसका कोई उल्लेख नहीं है।

98. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का कोई उल्लेख नहीं है।

99. ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि का कोई उल्लेख नहीं है।

100. पुनर्वित्त सहायता के तहत कितना ऋण की सहायता दी जाती है इसका उल्लेख नहीं है।

101. मार्कफेड को क्या सहायता किया गया इसका कोई उल्लेख नहीं है।

102. नाबार्ड आधारभूत विकास सहायता के तहत कितनी करोड़ राशि वितरित की है इसका कोई उल्लेख नहीं है।

103. खाद्य प्रसंस्करण निधि के तहत कितने पार्कों की स्वीकृति है इसका कोई उल्लेख नहीं है।

104. दीर्घकालीन सिंचाई निधि के तहत कितनी राशि वितरित की गई इसका कोई उल्लेख नहीं है।

105. स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम में कितना स्वयं सहायता समूह गठित है इसका कोई उल्लेख नहीं है।

106. संयुक्त देयता समूह योजना किनके लिए है इसका कोई उल्लेख नहीं है।

107. स्वयं सहायता समूहों के डिजिटलाइजेशन के लिए ई–शक्ति का उल्लेख नहीं है।

108. आदिवासी विकास निधि के तहत कितनी वाड़ी विकसित हुई इसका उल्लेख नहीं है।

109. वाटरशेड विकास अंतर्गत कितनी राशि स्वीकृत है उल्लेख नहीं है।

110. कृषक क्लब और कृषक उत्पादन संगठन में कितना कृषक क्लब है इसका उल्लेख नहीं है।

111. प्रदेश में उत्पादित सभी मिलेट फसलों के समर्थन मूल्य पर कोई बात नहीं की गई है।

112. आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के संचालन हेतु स्वयं का भवन निर्माण हेतु कोई बात नहीं की गई है।

113. प्रदेश के शासकीय स्कूलों का उन्नयन व भवन निर्माण हेतु कुछ भी नहीं है।

114. प्रदेश में लगातार रवि फसलों की उत्पादन क्षमता में कमी हो रहे हैं, उसके उत्पादन में बढ़ोत्तरी के संबंध में कुछ नहीं लिखा है।

115. खेल अकादमी की स्थापना (तीरंदाजी व अन्य) हेतु कोई बात नहीं की गई है।

116. प्राइवेट कृत्रिम, गर्भाधान कार्यकर्ता प्रशिक्षण योजना के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

117. छ.ग. राज्य पशुधन विकास अभिकरण योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

118. पशुरोग नियंत्रण परियोजना (ए स्काड) संचालन संबंधी कोई उल्लेख नहीं है।

119. अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता राशि के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

120. अनियमित कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं है।

121. जैविक खेती व सब्सिडी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

122. प्रदेश के किसानों को केन्द्रीय व राजकीय योजनाओं की जानकारी व जागरूक करने हेतु योजनाएं प्रावधानित नहीं की गई है।

123. प्रदेश के दिवंगत शिक्षकों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

124. प्रदेश में संचालित आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का स्वयं का यू–डाईस नं. हेतु कोई बात नहीं कही गई है।

125. प्रदेश के किसानों की दो वर्ष के बोनस हेतु कुछ नहीं है।

126. प्रदेश के किसानों की दीर्घकालीन व अन्य बैंकों की ऋण माफी हेतु कोई बात नहीं की गई है।

127. प्रदेश के किसानों के आत्महत्या के मामले में राज्य सरकार द्वारा अध्ययन व समाधान कराने हेतु कोई बात नहीं की गई है।

128. किसानों को स्थान खरीदी पर समर्थन मूल्य के अतिरिक्त प्रदाय की जा रही बोनस राशि को एक मुश्त देने के संबंध में कुछ नहीं है।

129. प्रदेश के गन्ना किसानों के भुगतान व समर्थन मूल्य बढ़ाने हेतु कुछ नही है।

130. प्रदेश में वित्तीय रवि वर्ष 2021–22 में चना फसल की क्षति हेतु बीमा की राशि प्रदान करने के लिए कुछ नही है।

131. प्रदेश के किसानों की धान खरीदी की सीमा प्रति एकड़ 15 क्विंटल से ज्यादा बढ़ाने हेतु कुछ बात नहीं की गई है।

132. उम्र दराज किसानों को पेंशन हेतु 1000 प्रतिमाह देने हेतु कोई बात नहीं की गई है।

133. प्रदेश के किसानों के उत्थान हेतु बनाई गई स्वामीनाथन कमेटी के लागू करने हेतु कोई बात नही की गई है।

134. मनरेगा के तहत 150 दिन का रोजगार देने के संबंध में कोई बात नहीं की गई है।

135. प्रदेश के स्कूलों में कृषि शिक्षा शामिल करने के संबंध में कोई बात नहीं की गई है।

136. कृषि अनुसंधान और विस्तार के विषय में कोई उल्लेख नही है।

137. प्रदेश में भूमि अधिकरण अंतर्गत अधिगृहित की गई भूमि के चार गुणा मुआवजा देने के संबंध में कोई बात नहीं की गई है।

138. पशुमाता महतारी योजना के संबंध में उल्लेख नहीं है।

139. डेयरी उद्यमिता विकास योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

140. उन्नत मादा वत्सपालन योजना का उल्लेख नही है।

141. राष्ट्रीय ब्रुसलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है।

142. मुंह पका, खुर पका रोग नियंत्रण कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है।

143. पी.पी.आर. नियंत्रण कार्यक्रम का उल्लेख नही है।

144. प्रदेश में औद्यौगिक उपयोग के लिए अधिगृहित की गयी कृषि भूमि को लौटाने हेतु कोई बात का उल्लेख नहीं है।

145. प्रदेश में किसान आयोग स्थापना हेतु कोई उल्लेख नही है।

146. प्रदेश के किसानों की दुर्घटना बीमा कराने हेतु कोई बात का उल्लेख नहीं है।

147. प्रदेश भूमिहीन व सीमांत किसानों को सामुदायिक खेती हेतु 10 से 100 हेक्टेयर के बीच सरकारी भूमि पर कृषि करने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

148. सौर ऊर्जा से संचालित शीतगृहों को अनुदान (सब्सिडी) प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

149. कृषि ऋण और बीमा की देखरेख के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के माध्यम बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।

150. प्रदेश के सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा देने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

151. सिंचाई क्षमता बढ़ाने हेतु नहरों का विस्तार करने के लिए कोई उल्लेख नहीं है।

152. प्रदेश के किसानों के लिए सिंचाई हेतु सार्वजनिक बोरवेल व बिजली एवं पंप के माध्यम से कराने हेतु कोई उल्लेख नहीं की गई है।

153. प्रदेश के किसानों की सिंचाई उद्देश्य के लिए नवीन स्टॉप डेम निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

154. प्रदेश के किसानों के लिए ड्रिप सिंचाई के लिए कोई उल्लेख नहीं है।

155. प्रदेश में सिंचाई शुल्क पूर्णतः समाप्त करने के लिए कोई उल्लेख नहीं है।

156. प्रदेश के किसानों की बकाया सिंचाई शुल्क की माफी का उल्लेख नहीं है।

157. सिंचाई हेतु निःशुल्क विद्युत कनेक्शन का उल्लेख नहीं है।

158. वर्षा जल प्रबंधन के लिए कोई अध्ययन व जल सवंर्धित करने का योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

159. सिंचाई हेतु बिजली व्यवस्था के लिए लिफ्ट इरिगेशन हेतु बिजली पहुंचाने के लिए जरूरी संसाधन निःशुल्क प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

160. सौर ऊर्जा से चलने वाले सब सिविल, मोनो ब्लॉक और ओपन वेल पंप को बढ़ावा देन हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

161. मानक स्तर के कृषि पंपो पर सब्सिडी प्रदान करने का उल्लेख नही है।

162. चैंप्स व्यवस्था का सरलीकरण करने हेतु व एकल खिड़की प्रणाली स्थापित करने का उल्लेख नही है।

163. प्रदेश के ग्राम पंचायतों में किसान सेवा केन्द्र की स्थापना हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

164. किसानो की धान खरीदी व मंडी शुल्क समाप्त करने के संबंध में कोई उल्लेख नही है।

165. मंडी द्वारा भुगतान डी.पी.टी. के माध्यम से सीधे बैंक खाते में करने हेतु कोई उल्लेख नही है।

166. प्रदेश की मंडी बोर्ड के विकास हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

167. मंडी विकास समिति का गठन व आधुनिक मंडियो का निर्माण करने के संबंध में कोई उल्लेख नही है।

168. मंडियो में परिवहन की व्यवस्था न्यूनतम दरों में किये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नही है।

169. प्रदेश के किसानों को खाद्यान्न का उठाव 48 घंटे के भीतर हो व क्रय का भुगतान के लिये निर्धारित समयावधि तक करने के संबंध में उल्लेख नहीं है।

170. किसानों की स्थानीय जरूरतों के अनुसार आधुनिक भंडार गृहों का निर्माण के लिए उल्लेख नही है।

171. ड्रिप सिंचाई में उपयोग होने वाले पानी में घुलनशील उर्वरकों पर अनुदान के संबंध में कोई उल्लेख नही है।

172. कामधेनु सुरक्षा केन्द्र व स्वामीहीन मवेशियों के लिए गौशालायें बनाने का उल्लेख नही है।

173. चरवाहा समुदाय से आने वाले लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

174. कामधेनु योजना के तहत अमूल मॉडल के अनुरूप प्रत्येक जिले में सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।

175. दुग्ध समितियों को उन्नत नस्ल की दुधारू गायें उपलब्ध कराने के संबंध में कोई उल्लेख नही है।

176. सभी जिलों में चिलिंग प्लांट स्थापना हेतु कोई उल्लेख नही है।

177. ग्रामीण इलाकों में पर्याप्त पशु चिकित्सा कर्मचारी व बुनियादी ढांचे के पशु चिकित्सालय स्थापना का उल्लेख नही है।

178. प्रदेश में मोबाईल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित के लिए कोई उल्लेख नही है।

179. प्रदेश में बकरी व सुअर पालन को बढ़ावा देने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

180. रोजगार हेतु मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिए कोई उल्लेख नहीं है।

181. महिला स्व सहायता समूहों को मछली पालन में प्राथमिकता देने हेतु कोई उल्लेख नही है।

182. प्रदेश में मत्स्य पालन के लिए नए जल निकायों को बढ़ावा देने का उल्लेख नही है।

183. प्रदेश में एक केंद्रित उद्यानिकी नीति लागू करने का उल्लेख नही है।

184. उद्यानिकी और वानिकी पंचायतों के समूह में प्रस्तावित करने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

185. उद्यानिकी विकास के लिए विरोध जलवायु क्षेत्र की पहचान हेतु कोई उल्लेख नही है।

186. हर ब्लॉक में उद्यानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए पायलट परियोजनाएं संचालित करने का उल्लेख नही है।

187. प्रत्येक जिले में उद्यानिकी के लिए प्लक टाइप सीडलिंग यूनिट स्थापित करने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

188. उद्यानिकी के साथ मधुमक्खी पालन को भी बढ़ावा दिये जाने का उल्लेख नही है।

189. वानिकी एवं उद्यानिकी के अनुसंधान और विकास के लिए नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना करने का उल्लेख नही है।

190. जैविक कृषि केन्द्र स्थापना हेतु कोई उल्लेख नही है।

191. हर्बल उद्यानिकी को बढ़ावा दिये जाने का कोई उल्लेख नही है।

192. प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण हेतु फुड पार्क की स्थापना करने हेतु कोई उल्लेख नही है।

193. कृषि आधारित उद्योगों के अनुसंधान और विकास के लिए निगम की स्थापना के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

194. स्थानीय फसल उत्पादन हेतु प्रसंस्करण के लिए खाद्य पार्कों की स्थापना हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

195. छत्तीसगढ़ से प्राप्त कृषि उपज की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए पूर्ण इनपुट कर छूट देने की कोई उल्लेख नहीं है।

196. प्रदेश में जल संसाधन नीति लागू करने के संबंध में उल्लेख नही है।

197. अंतर्राज्यीय जल विवादों को हल करने के संबंध में कोई उल्लेख नही है।

198. जल उपभोक्ता संघो को उनके अधिकार के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

199. पानी के सिंचाई को अनुकूलित करने के लिए नहरों को कंक्रीट अस्तर करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

200. भू–जल के स्तर में वृद्धि सुनिश्चित करने एवं बदलते मौसम के अनुरूप वर्षा जल संचयन की योजना का उल्लेख नही है।

201. प्रदूषित भूजल को उपचारित करने हेतु कोई बात नही की गई है।

202. मुख्य जल निकायों में प्रवेश करने हेतु सीवेज और औद्योगिक जल को उपचारित करने के संबंध में कोई उल्लेख नही है।

203. 01 से 06 वर्ष की उम्र के बच्चों के देखभाल के लिए फुलवारी स्थापना हेतु कोई बात नही की गई है।

204. महतारी सम्मान योजना के तहत माताओं को 500 रू. प्रतिमाह देने के संबंध में कोई उल्लेख नही है।

205. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का नर्सरी शिक्षक के रूप में उन्नयन करने हेतु कोई उल्लेख नही है।

206. छत्तीसगढ़ की सभी विधवा महिलाओं को 1000 रू. प्रतिमाह पेंशन देने हेतु कोई उल्लेख नही है।

207. जिला मुख्यालयों में महिला छात्रावास भवन निर्माण करने के संबंध में कोई उल्लेख नही है।

208. बालश्रम कानून को सख्ती से लागू करने हेतु कोई उल्लेख नही है।

209. बाल श्रमिकों को पुनर्वास और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई प्रावधान नही है।

210. अनाथ व निराश्रित बच्चों का पुनर्वास करने हेतु कोई उल्लेख नही है।

211. अनाथालयों का सलाना ऑडिट करने हेतु कोई उल्लेख नही है।

212. प्रदेश में एनीमिया के रोकथाम व बढ़ती दर रेसियो के रोकथाम हेतु कोई उल्लेख नही है।

213. प्रदेश के आंगनबाड़ी भवनों में शौचालय की सुविधा के साथ–साथ स्वच्छ जल उपलब्ध कराने हेतु कोई उल्लेख नही है।

214. प्रदेश के प्रत्येक थानों में महिला सेल की स्थापना हेतु कोई उल्लेख नही है।

215. महिलाओं के संरक्षण के लिए कानून व्यवस्था सख्ती से लागू करने के संबंध में कोई उल्लेख नही है।

216. प्रदेश के शहरों में महिला सुरक्षा हेतु तिरंगा आटो GPS सहित संचालन हेतु कोई उल्लेख नही है।

217. महिला स्व–सहायता समूहों की कर्ज माफी व धोखाधड़ी से बचाने हेतु कोई उल्लेख नही है।

218. महिलाओ के आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु कोई उल्लेख नही है।

219. प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक के स्कूलों में छात्रावास निर्माण कराने का उल्लेख नही है।

220. स्व–सहायता समूह को प्रोत्साहन के लिए उनके द्वारा उत्पादित उत्पादों के बिक्री हेतु मेला का व्यवस्था हेतु कोई उल्लेख नही है।

221. कौशल विकास कॉल सेंटर आईटी इत्यादि क्षेत्रों में महिला भागीदारी के संबंध में उल्लेख नही है।

222. शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध कराने का उल्लेख नही है।

223. प्रदेश के जिला मुख्यालयों में कन्या महाविद्यालयों में छात्रावास निर्माण कराने का उल्लेख नही है।

224. पांचवी अनुसूचित एवं आदिवासी क्षेत्रों में पंचायत उपबंध पेसा कानून का क्रियान्वयन के संबंध में कोई उल्लेख नही है।

225. प्रदेश के आदिवासियों पर चल रहे सामान्य अपराधों पर पुनर्विचार कर वापस लेने के संबंध में कोई उल्लेख नही है।

226. प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व OBC छात्रों को निःशुल्क शिक्षा के लिए कोई उल्लेख नही है।

227. युवाओं को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता इस बात का कोई उल्लेख नही है।

228. नवाचार आयोग गठित करने का कोई उल्लेख नही है।

229. राज्य में एयरोसिटी बनाने का कोई उल्लेख नही है।

230. राज्य में ग्रामीण उद्योग नीति बनाने का कोई उल्लेख नही किया गया है।

231. औद्योगिक इकाईयों को संपत्ति कर से मुक्ति दिलाने का कोई उल्लेख नही है।

232. खारून नदी पर रिवर फ्रंट बनाने का कोई उल्लेख नही है।

233. विद्युत शिकायत के निराकरण के लिए आधुनिक ऑनलाइन निराकरण प्रणाली का कोई उल्लेख नही है।

234. राज्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के आयोजन का कोई उल्लेख नही है।

235. निर्माण श्रमिको के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना का कोई उल्लेख नही है।

236. चंदखुरी में प्रतिवर्ष मां कौशल्या महोत्सव आयोजन का कोई उल्लेख नही है।

237. समस्त राशनकार्ड धारियों को पीडीएस के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल दिए जाने की घोषणा का कोई उल्लेख नही है।

238. सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र तथा नगरीय क्षेत्र में वन अधिकार पत्र देने की पहल का कोई उल्लेख नही है।

239. 65 वनोपजों के लिए समर्थन मूल्य देने व मूल्य वृद्धि के साथ उपार्जन केन्द्रों में समुचित व्यवस्था का कोई उल्लेख नही है।

240. तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 4000 प्रति मानक बोरा का कोई उल्लेख नही है।

241. गोबर के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व का कोई उल्लेख नही है।

242. प्रदेश में 562 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने का निर्णय लिया इस बात का कोई उल्लेख नही है।

243. कोदो, कुटकी रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी व इसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना में भी जोड़ा गया इस बात का कोई उल्लेख नही है।

244. छ.ग. केन्द्रीय पूल में सबसे ज्यादा चावल देने वाला राज्य बन गए है इस बात का उल्लेख नही है।

245. किसानों और कमजोर सबको डेढ़ लाख करोड़ की मद का कोई उल्लेख नही है।

246. चिटफंड कंपनियों पर सख्त कार्रवाई, निवेशकों को 25 करोड़ रूपये की राशि वापस करने का कोई उल्लेख नही है।

247. किसानों को इनपुट सब्सिडी के लिए 16442 करोड़ रूपये की मद का कोई उल्लेख नही है।

248. ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों को न्यूनतम आर्थिक मदद का कोई उल्लेख नही है।

249. सभी वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए नए उपाय किये है इसका कोई उल्लेख नही है।

250. 2 लाख 65 हजार बच्चे कुपोषण से मुक्त का कोई उल्लेख नही है।

251. अप्रैल 2023 से सभी जिलों में फोर्टिफाईड चावल वितरण हेतु कोई उल्लेख नही है।

252. सार्वभौम पीडीएस शत–प्रतिशत खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य पूरा करने कोई उल्लेख नही है।

253. चार साल में 6 नए जिले, 19 अनुविभाग और 83 तहसीलों का गठन करने का कोई उल्लेख नही है।

254. आगामी सत्र में 422 स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रारंभ होंगे इसका कोई उल्लेख नही है।

255. शैक्षणिक उन्नयन के लिए सुध्धर पढ़वैया योजना के संचालन का कोई उल्लेख नही है।

256. उत्कृष्ट महाविद्यालय प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नही है।

257. छ.ग. में ओलम्पिक खेलों के साथ–साथ आपसी सद्भावना को मजबूत बनाने में सफलता का कोई उल्लेख नही है।

258. कितने कृषकों को रूपे केसीसी कार्ड प्रदान किया इसका उल्लेख नही है।

259. कृषकों को कितना ब्याज मुक्त ऋण दिया इसका उल्लेख नही है।

260. रासायनिक उर्वरक का वितरण कौन से सहकारी समिति करती है इसका उल्लेख नही है।

261. कृषकों का ऋण माफी योजना में कितनी राशि माफ किया इसका उल्लेख नही है।

262. कोण्डागांत में मक्का प्रसंस्करण की स्थापना के संबंध में उल्लेख नही है।

263. इथेनॉल प्लांट की स्थापना के संबंध में उल्लेख नही है।

264. फसल क्षेत्र का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का उल्लेख नहीं है।

265. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण अकादमी का उल्लेख नही है।

266. फसल बीमा योजनांतर्गत भुगतान की राशि का कोई उल्लेख नही है।

267. नरवा कार्यक्रम अंतर्गत प्रगति व प्रारंभ तथा वर्तमान कार्यक्रम का उल्लेख नही है।

268. गरूवा योजना अंतर्गत गौठान स्वीकृत का उल्लेख नहीं है।

269. बाड़ी विकास कार्यक्रम अंतर्गत नवीन पुरानी बाड़ी कार्य का उल्लेख नही है।

270. प्रदेश में लघु, मध्यम एवं वृहद सिंचाई योजना का कोई उल्लेख नही है।

271. वर्तमान राज्य में कृषि उपज मंडी व उप मंडियों के संबंध में कोई उल्लेख नही है।

272. बकरी प्रजनन क्षेत्र व सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र का उल्लेख नही है।

273. प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ कार्ड वितरण योजना के संबंध में कोई उल्लेख नही है।

274. राज्य पोषित जैविक खेती मिशन का कोई उल्लेख नही है।

275. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना संचालन के संबंध में कोई उल्लेख नही है।

276. रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट के संचालक का उल्लेख नही है।

277. कृषि उपज मंडियों की आय बढ़ाने का कोई उल्लेख नही है।

278. कृषि मंडियों में आवक का कोई उल्लेख नही है।

279. मिट्टी, परीक्षण प्रयोग शाला की स्थापना व संचालन का कोई उल्लेख नही है।

280. राष्ट्रीय कृषि बाजार के संबंध में कोई उल्लेख नही है।

281. एगमार्क नेट पोर्टल योजना के संबंध में कोई उल्लेख नही है।

282. बीज उत्पादन एवं वितरण अनुदान के संबंध में कोई उल्लेख नही है।

283. हाट बाजारों में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण का उल्लेख नही है।

284. किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांजल योजना के संबंध में कोई उल्लेख नही है।

285. किसान शॉपिंग माल के संबंध में कोई उल्लेख नही है।

286. निजी किसान उपभोक्ता बाजार के संबंध में कोई उल्लेख नही है।

287. संविदा खेती योजना का कोई उल्लेख नही है।

288. फल विकास कार्यक्रम के संबंध में कोई उल्लेख नही है।

289. नदी सुधार तटों पर लघु सब्जी उत्पादन समुदायों को प्रोत्साहन योजना के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

290. राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना का कोई उल्लेख नही है।

291. कम्यूनिटी फेंसिंग योजना का कोई उल्लेख नही है।

292. सब्जी फसलों के विविधीकरण हेतु प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है।

293. राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंतर्गत संचालित योजना के संबंध में कोई उल्लेख नही है।

294. फलोद्यान विकास योजना के संबंध में कोई उल्लेख नही है।

295. सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना के संबंध में कोई उल्लेख नही है।

296. पुष्प विकास योजना अंतर्गत पुष्प विस्तार के कार्य का उल्लेख नही है।

297. काजू क्षेत्र विस्तार क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्य का कोई उल्लेख नही है।

298. सामुदायिक जल संसाधन स्त्रोतों के विकास का कोई उल्लेख नही है।

299. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत प्रगति का कोई उल्लेख नही है।

300. नेशनल आइलसीड एवं आइलपाम योजना का उल्लेख नही है।

301. गौवंशीय एवं भैंसवंशीय पशु विकास कार्यक्रम के संबंध में कोई उल्लेख नही है।

6. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. ग्राम–पकरिया, विकासखण्ड पथरिया, जिला–मुंगेली, सड़क नवीनीकरण करने का उल्लेख नहीं है।
2. ग्राम–बदरा, विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।
3. ग्राम–मंगला, विकासखण्ड–बिल्हा, जिला–बिलासपुर में वेलनेस सेंटर खोलने का उल्लेख नहीं है।
4. ग्राम–सिलतरा, विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।
5. विकासखण्ड पथरिया, जिला–मुंगेली में हाई स्कूल मुन्डादेवरी भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
6. विकासखण्ड पथरिया, जिला–मुंगेली में हाईस्कूल जोता में भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
7. विकासखण्ड पथरिया, जिला–मुंगेली में हायर सेकेण्डरी स्कूल अण्डा में भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
8. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिल्हा, जिला–बिलासपुर में सोलर पैनल लगाने का उल्लेख नहीं है।
9. विकासखण्ड पथरिया, जिला–मुंगेली की हायर सेकेण्डरी स्कूल चुनचुनिया में भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
10. विकासखण्ड पथरिया, जिला–मुंगेली की हाईस्कूल जरेली को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।
11. विकासखण्ड पथरिया, जिला–मुंगेली की हाईस्कूल का हायरसेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।
12. कक्षा 1 से 5 तक विशेष आहार की जरूरत वाले विद्यार्थियों की पहचान के लिये शिक्षकों को प्रशिक्षण दिये जाने का उल्लेख नहीं है ।
13. खिलाड़ियों को दोगुनी छात्रवृत्ति प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
14. प्रत्येक शासकीय स्कूलों में खेल प्रशिक्षक नियुक्त करने का उल्लेख नहीं है ।

15. आईओएफ द्वारा अनुमोदित प्रत्येक खेल के लिये एसएआई प्रशिक्षक की नियुक्ति करने का उल्लेख नहीं है।

16. अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित समस्त प्रकरणों का तत्काल निराकरण करने का उल्लेख भी नहीं है।

17. प्रदेश के नागरिक विद्यामितानों की नियमितिकरण करने का उल्लेख नहीं है।

18. राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का डी.ए. और टी.ए. बढ़ाये जाने का उल्लेख नहीं है।

19. शिक्षा के अधिकार के तहत पूर्व माध्यमिक कक्षा के स्थान पर नर्सरी से पोस्ट ग्रेजुएट तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

20. प्रदेश के समस्त ब्लॉकों में आदर्श विद्यालय स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

21. प्रदेश की सभी प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों को आरएमएसए के परामर्श के अनुरूप उन्नत कर पूर्णतः सुविधायुक्त बनाने का उल्लेख नहीं है।

22. प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पचास हजार पदों की पूर्ति किये जाने का उल्लेख नहीं है।

23. प्रदेश के समस्त जिलों में नवीन कन्या पॉलीटेक्निक एवं आईटीआई की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।

24. प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक कृषि शिक्षा को शामिल करने का उल्लेख नहीं है।

25. आदिवासी क्षेत्रों में गौंण खनिज के उत्खनन हेतु बेरोजगार युवकों की समिति बनाने तथा उसमें आबादी के अनुपात से अजा, अजजा तथा पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग को शामिल करने का उल्लेख नहीं है।

26. मितानिनों को कमीशन के अतिरिक्त 5000 रू. मासिक प्रदान करने तथा मितानिनों की नवीन नियुक्ति करने का उल्लेख नहीं है।

27. स्वास्थ्य कर्मियों को 3 वर्षों तक प्राथमिक चिकित्सा तथा आपातकाल सेवा का विस्तृत प्रशिक्षण देकर लाईसेंस प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

28. अटल नगर, नवा रायपुर में उच्च गुणवत्ता चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

29. प्रदेश में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिये समाधानकारक हल करने का उल्लेख नहीं है।

30. प्रदेश में सब्जी का उत्पादन कर रहे किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का उल्लेख नहीं है।

31. शासकीय कार्यालय में में फर्जी तथा गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है।

32. तेंदूपत्ता प्रबंधकों को तृतीय वर्ग कर्मचारियों का दर्जा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

33. प्राकृतिक संसाधनों को आगामी पीढ़ी के लिये इंटरजेनरेशन इक्टिवटी के सिद्धांतों के आधार पर नीति बनाने का उल्लेख नहीं है।

34. प्रदेश में बाघों की संख्या में वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।

35. आदिवासी क्षेत्रों में लघु वनोपज की खरीदी हेतु बेरोजगार युवकों की समिति बनाने तथा उसमें आबादी के अनुपात से अजा, अजजा तथा पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग को शामिल करने का उल्लेख नहीं है।

36. प्रदेश की समस्त शासकीय स्कूलों में कुपोषण, ऐनिमिया तथा अन्य बीमारियों के उपचार की नियमित जांच करने तथा मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

37. ''जवाहर सेतु योजना'' के तहत् प्रदेश के पहुंच विहीन गांवों जोड़ने तथा सभी नदियों व नालों पर पुल निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

38. प्रत्येक ग्राम पंचायत को 70 लाख रू. तथा नक्सल प्रभावित ग्राम पंचायतों को 1 करोड़ रू. प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

39. कर्ज लेने को समाप्त करने में सरकार विफल रही है।

40. कोरोनाकाल में जीवनोपयोगी वस्तुओं के बढ़े दामों एवं मंहगाई को रोकने का उल्लेख नहीं है।

41. प्रदेश में रॉयल्टी चोरी रोकने का उल्लेख नहीं है।

42. विकासखण्ड–बिल्हा, जिला–बिलासपुर की अमलडीहा से सल्पा सड़क के नवीनीकरण करने का उल्लेख नहीं है।

43. विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली की मदवानी से खैरा सड़क के नवीनीकरण करने का उल्लेख नहीं है।

44. विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली के ग्राम चंदली की सड़क के नवीनीकरण करने का उल्लेख नहीं है।

45. विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली की सिलदहा से बेलखुरी सड़क के नवीनीकरण करने का उल्लेख नहीं है।

46. विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली की किरना से लमती एवं लमती से मद्कू सड़क के नवीनीकरण करने का उल्लेख नहीं है।

47. प्रत्येक जनपद एवं जिला पंचायत को खेल विकास कोष आवंटित करने का उल्लेख नहीं है।

48. आर्सेनिक आयरन वाले अशुद्ध पेयजल स्त्रोतों को शुद्ध करके पेयजल उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

49. छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की समस्या के निराकरण करने का उल्लेख नहीं है।

50. ''गांव गंगा योजना'' के तहत् गांव में पेयजल, निस्तार और सिंचाई हेतु स्थापित करने का उल्लेख नहीं है।

51. प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति की असमय हो रही मौतों को रोकने किसी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

52. प्रदेश में सिंचाई रकबा दुगना करने का उल्लेख नहीं है।

53. प्रदेश स्वाईल टू सिलक योजना के अंतर्गत बुनकरों को मुफ्त धागा मशीन वितरित करने का उल्लेख नहीं है।

54. अधिवक्ता कल्याण योजनाओं का उल्लेख नहीं है।

55. प्रदेश के कुंओं के संरक्षण करने का उल्लेख नहीं है।

56. पुलिस कल्याण योजनाओं का उल्लेख नहीं है।

57. राजस्व न्यायालय के प्रकरणों को पारदर्शिता के साथ तय समय में निराकरण करने का उल्लेख नहीं है।

58. शहरी क्षेत्रों में नगरनिगम एवं नगर पंचायतों के दायरे में आने वाले उद्योगों के संपत्ति कर घटाने की योजना का उल्लेख नहीं है।

59. जिला पर्यटन कोष स्थापित कर पर्यटन से मिल रही राशि का स्थानीय विकास में लगाये जाने का उल्लेख नहीं है।

60. जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं प्रदान करने योग्य बनाने का उल्लेख नहीं है।

61. महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से शहरों में रात में तिरंगा आटों चलाये जाने का उल्लेख नहीं है।

62. मांझी, मुखिया एवं चालकी को दिये जाने वाले भत्ते को बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

63. दुर्घटना में अपंग हुए लोगों को प्रमाण–पत्र तथा सहायता राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

64. दिव्यांग महिलाओं के विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

65. वरिष्ठ नागरिकों के लिये पौष्टिक आहार योजना का उल्लेख नहीं है।

66. अधिक जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र में नये स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

67. मनरेगा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध नहीं होने के कारण भत्ता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

68. स्कूल एवं कॉलेज के छात्र–छात्राओं को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन सुविधा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

69. संपति कर को ग्रामीण क्षेत्रों से पूर्णतः समाप्त करने का उल्लेख नहीं है।

70. किसानों के लिये दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा और फसल बीमा के लिये सम्मिलित बीमा पॉलिसी प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

71. सामुदायिक खेती हेतु सरकारी भूमि पर कृषि क्षेत्र स्थापित करने का उल्लेख नहीं है।

72. प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज खोलने अनुदान प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

73. प्रत्येक ब्लॉक में 100 एकड़ सरकारी भूमि में उद्यानिकी योजना का संचालन करने का उल्लेख नहीं है।

74. विकासखण्ड–बिल्हा, जिला–बिलासपुर के बोदरी में तहसील कार्यालय भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

75. विकासखण्ड–बिल्हा, जिला–बिलासपुर के ग्राम–उमरिया अंतर्गत मेन रोड बरतोरी बलौदाबाजार मुख्य मार्ग से राम भवन महामाया होते हुए हनुमान मंदिर कुटी देवकिरारी मार्ग का डामरीकरण सह सी.सी. रोड निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

76. विकासखण्ड–बिल्हा, जिला–बिलासपुर के ग्राम–मुढ़ीपार अंतर्गत एनएच मुख्य मार्ग से बांधा तालाब होते हुए डामरीकरण सह सी.सी. रोड निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

77. विकासखण्ड–बिल्हा, जिला–बिलासपुर के ग्राम–मंगला (पासीद) चतुर्भुज गेट से चतुर्भुज मंदिर तक दूरी 1 कि.मी. मार्ग का डामरीकरण सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

78. विकासखण्ड–बिल्हा, जिला–बिलासपुर के गुमा मुख्य मार्ग से सेवती तक दूरी 1 कि.मी. मार्ग का डामरीकरण सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

79. विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली के हरदी से किरना पहुंच मार्ग दूरी 2 कि.मी. का डामरीकरण सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

80. विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली के परसदा (पथरिया) से केवईया पहुंच मार्ग का निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

81. विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली के भठली से छिन्दभोग मार्ग का निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

82. विकासखण्ड–बिल्हा, जिला–बिलासपुर के चकरभाठा बिल्हा मार्ग से एफ.सी.आई. गोदाम होते हुए ग्राम उमरिया बिल्हा बरतोरी मार्ग तक दूरी 1.5 किमी डामरीकृत सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

83. विकासखण्ड–बिल्हा, जिला–बिलासपुर के बरतोरी बिल्हा मुख्य मार्ग से इन्द्रपुरी होते हुए नेशनल हाईवे तक दूरी 3 किमी डामरीकृत सह सी.सी. रोड निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

84. विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली के मदकूदीप एवं ताला (पुरातात्विक गांव) मार्ग में शिवनाथ नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

85. विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली के मोहदी–लुकउकापा से मोहदा मार्ग पर मनियारी नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

86. विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली के सल्फा चुनचुनिया अमलडीहा पहुंच मार्ग का उन्नयन कार्य दूरी 22.50 किमी निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

87. विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली के बदरा ठा से चंदली रापाझोरी तक पहुंच मार्ग दूरी 3 किमी निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

88. विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली के सल्फा से सकेत पहुंच मार्ग का उन्नयन एवं मजबूतीकरण कार्य दूरी 13.50 किमी निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

89. विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली के सरगांव मनियारी चौक से (कॉलेज मार्ग) खपरी पहुंच मार्ग का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण दूरी 3.50 किमी निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

90. विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली के राष्ट्रीय राजमार्ग से मदकूदीप पहुंच मार्ग का उन्नयन एवं चौड़ीकरण 4 किमी निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

91. विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली के मोहभट्टा से बररा मार्ग का मजबूतीकरण कार्य दूरी 10 किमी निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

92. विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली के पथरिया प्री–मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक पहुंच मार्ग दूरी 1.00 किमी निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

93. विकासखण्ड–बिल्हा, जिला–बिलासपुर के मंगला (मटियारी) करहीबाजार मार्ग पर शिवनाथ नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

94. विकासखण्ड–बिल्हा, जिला–बिलासपुर के पोडी स–आक डी लवार मार्ग पर अरपा नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

95. विकासखण्ड–बिल्हा, जिला–बिलासपुर के कुंआ से नगाराडीह पहुंच मार्ग उन्नयन एवं मजबूती करण कार्य करने का उल्लेख नहीं है।

96. विकासखण्ड–बिल्हा, जिला–बिलासपुर के ग्राम–डठहा/बोदरी से नगपुरा तक डामरीकरण कार्य करने का उल्लेख नहीं है।

97. विकासखण्ड–बिल्हा, जिला–बिलासपुर के पेण्ड्रीडीह बायपास चौक से ग्राम–रंहगी पहुंच मार्ग निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

98. विकासखण्ड–बिल्हा, जिला–बिलासपुर के बरतोरी हिर्री–बिल्हा मार्ग का उन्नयन एवं मजबूतीकरण करने का उल्लेख नहीं है।

99. विकासखण्ड–बिल्हा, जिला–बिलासपुर के पेण्ड्रीडीह बायपास चौक से ग्राम रंहगी पहुंच मार्ग दूरी 3 किमी निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

100. विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली के हाई स्कूल पथरगढ़ी का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

101. विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली के हाई स्कूल हिन्छापुरी का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

102. विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली के हाई स्कूल ककेडी का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

103. विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली के हाई स्कूल खुटेरा ककेडी का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

104. विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली के हाई स्कूल भरेवा का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

105. विकासखण्ड–बिल्हा, जिला–बिलासपुर के हाई स्कूल अमलडीहा का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

106. विकासखण्ड–बिल्हा, जिला–बिलासपुर के हाई स्कूल बुन्देला का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

107. विकासखण्ड–बिल्हा, जिला–बिलासपुर के हाई स्कूल देवकिरारी का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

108. विकासखण्ड–बिल्हा, जिला–बिलासपुर के हाई स्कूल मुरकुटा का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

109. विकासखण्ड–बिल्हा, जिला–बिलासपुर के हाई स्कूल सरवानी में भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

110. विकासखण्ड–बिल्हा, जिला–बिलासपुर के हाई स्कूल पासीद में भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

111. विकासखण्ड–बिल्हा, जिला–बिलासपुर की ग्राम पंचायत बरतोरी में मिनी स्टेडियम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

112. विकासखण्ड–बिल्हा, जिला–बिलासपुर की ग्राम पंचायत सावां में मिनी स्टेडियम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

113. विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली की ग्राम पंचायत चन्द्रगढ़ी में मिनी स्टेडियम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

114. विकासखण्ड–बिल्हा, जिला–बिलासपुर के दगौरी में सब स्टेशन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

115. विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली का छिन्दभांग से ढोढापुर होते हुए मोहभट्ठा पहुंच मार्ग निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

116. विकासखण्ड–बिल्हा, जिला–बिलासपुर का सेंवार बंजारी मंदिर से भटगांव बायपास एनएचआई तक सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

117. विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली के हरदी से भठली पहुंच मार्ग पुल–पुलिया सहित निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

118. विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली के ग्राम–रापाझोरी को राजस्व ग्राम का दर्जा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

119. विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली के ग्राम नयापारा को राजस्व ग्राम का दर्जा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

120. विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली के ग्राम जोता में नवीन उप–स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

121. कानन पेडारी, बिलासपुर में वन्य प्राणियों की हो रही मौतों को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

122. योग एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।

123. गरीब परिवारों के लिये एक वर्ष में 4 एलपीजी गैस सिलेण्डर मुफ्त प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

124. पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार कार्यालय के माध्यम से अनवरत रोजगार दिलाने की योजना का उल्लेख नहीं है।

125. कुपोषण से बच्चों की मौत को रोकने हेतु सशक्त कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

126. शासकीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये पदोन्नति एवं चार स्तरीय उच्चतर वेतनमान लागू किये जाने का उल्लेख नहीं है।

127. शासकीय विभागों में कार्यरत अनियमित, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

128. आऊट सोर्सिंग किस–किस विभाग में कहां–कहां बंद हुई है, का उल्लेख नहीं है।

129. प्रदेश में सरकार द्वारा पेट्रोल पर लगाये गये अधिकतम वेट टैक्स को कम कर मंहगाई कम करने का उल्लेख नहीं है।

130. वर्ष 2023–24 में कितने शहरों को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसका उल्लेख नहीं है।

131. महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

132. राजधानी सहित पूरे प्रदेश में चाकूबाजी की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है इसे रोकने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

133. यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम प्रारंभ करने व बाह्य रोगियों को दवाई व जांच की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

134. प्रदेश के अस्पतालों को आधुनिक एवं उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की योजना का उल्लेख नहीं है।

135. प्रत्येक भूमिहीन ग्रामीण परिवार को घर व बाड़ी हेतु भूमि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

136. प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में फूडपार्क की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।

137. जिला–मुंगेली अंतर्गत मनियारी बैराज व कनोल के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।

138. ग्राम पंचायत हथनी में हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय स्थापित करने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. पुर्ण शराब बंदी करने का उल्लेख नहीं है ।
2. छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में मृत खिलाड़ियों को 50 लाख मुआवजा दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
3. महिला स्व. सहायता समूहों का पूरा कर्ज माफी का उल्लेख नहीं है ।
4. सभी विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क परिवहन की सुविधा दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
5. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास निर्माण योजना किये जाने का उल्लेख नहीं है।
6. केन्द द्वारा दिये गये चावल का वितरण का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश के सभी अनियमित कर्मचारियों कों नियमित करने का उल्लेख नहीं है।
8. उद्योगों की स्थापना में ग्रामवासियों की सहमति का उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में फिजुलखर्च रोके जाने का उल्लेख नही है।
10. प्रदेश के सभी पट्टा विहीन लोगों को भूमि पटटा प्रदान करने का उल्लेख नही है।
11. उद्योगों के सुचारू संचालन हेतु अतिरिक्त ट्रासफार्मर की व्यवस्था करने का उल्लेख नही है।
12. प्रदेश के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु मास्टर प्लान का उल्लेख नहीं है।
13. नक्सली घटनाओं में नियंत्रण करने का उल्लेख नही है।
14. प्रदेश के सभी परिवारों को बिजली बिल हाफ रेट में प्रदान करने का उल्लेख नही है।
15. प्रदेश के सभी गौठानों में चारा की व्यवस्था करने का उल्लेख नही है।
16. विद्युत आपुर्ति हेतु अच्छी गुणवत्ता वाले नवीन ट्रासफार्मर लगाने का उल्लेख नही है।
17. प्रधानमंत्री आवास शहरी का निर्माण का उल्लेख नही है।
18. शहरी किरायेदारों को मकान प्रदाय करने की नीति का उल्लेख नही है।
19. नक्सलवाद के संबंध में प्रभावी नीति के क्रियान्वयन का उल्लेख नही है।
20. गिरोधपुरी धाम के साथ ही दामाखेड़ा कबीर धर्म नगर के विकास का उल्लेख नही है।
21. नक्सली घटनाओं में मृत पुलिस कर्मचारियों को दी जाने वाली राशि में वृद्धि किये जाने का उल्लेख नहीं है।
22. प्रदेश सरकार की अधिकतर घोषणा को क्रियान्वयन का उल्लेख नही है।

23. नशे की गोलियॉ, शराव के अवैध कारोबार पर नियंत्रण करने का उल्लेख नही है।
24. सरकारी नौकरियों की भर्ती में सरकार को तेजी लाने का का उल्लेख नही है।
25. प्रदेश के अधिवक्ताओं के आवास हेतु हाऊसिंग योजना का उल्लेख नही है।
26. पेट्रोल और डीजल में वेट टेक्स कम का उल्लेख नही है।
27. ऑन लाईन ठगी के मामले में निराकरण का उल्लेख नही है।
28. नवीन खनिज संसाधन की खोज कोई संबंध में कोई उल्लेख नही है।
29. अनियमित संविदा कर्मचारियों के आंकड़े के संबंध में उल्लेख नही है।
30. भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का उल्लेख नही है।
31. नवीन 6 जिलों में अधोसंरचना विकास के मामले का उल्लेख नही है।
32. जानवरों (गायों) की वाहन दुर्घटना में मृत्यु के रोकथाम का उल्लेख नही है।
33. बस्तर फाईटर्स बल में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का उल्लेख नही है।
34. भाटापारा कृषि उपज मंडी में एग्रो प्लांट बनाने की आवश्यकता है, एग्रो प्लांट बनाने का उल्लेख नहीं है।
35. उद्योगों आउटसोर्सिगं का उल्लेख नहीं है।
36. मोर जमीन मोर मकान के तहत वृहद लक्ष्य का उल्लेख नही है।
37. नगरीय क्षेत्रों में पट्टा की भूमि पर भू–स्वामी हक का उल्लेख नही है।
38. आउटसोर्सिगं में लगाम का उल्लेख नहीं है।
39. वन क्षेत्रों में वृद्धि का उल्लेख नहीं है।
40. किसानों को सिंचाई हेतु अधिक संख्या में पंप कनेक्शन का उल्लेख नहीं है।
41. नशे के अवैध कारोवार की रोकथाम का उल्लेख नहीं है।
42. ओ.पी.एस. और एन.पी.एस पेंशन स्कीम का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
43. आदिवासी क्षेत्रों के ग्रामों को 1–1 करोड़ रू राशि दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
44. विद्युत उत्पादन की क्षमता में वृद्धि का उल्लेख नहीं है।
45. ऋण के बोझ को कम करने का उल्लेख नहीं है।
46. ग्रामीण क्षेत्रो के विकास का उल्लेख नहीं है।
47. प्रदेश में हत्या, चाकूबाजी की घटनाओं के रोकथाम का उल्लेख नहीं है।
48. प्रदेश में कैम्पा मद अंतर्गत भ्रष्टाचार की रोकथाम का उल्लेख नहीं है।
49. फर्जी राशन कार्डो का जांच का उल्लेख नहीं है।
50. स्कूलों में बच्चों (लड़कियों) के साथ छेड़खानी की समाधान का उल्लेख नहीं है।

51. रोजगार आयोग की स्थापना का उल्लेख नहीं है।
52. नरवा, गरूवा, धुरवा बाड़ी योजना का स्पष्ट का उल्लेख नहीं है।
53. गायों की गोट और गौशाला में पर्याप्त सुविधाओं का उल्लेख नहीं है।
54. सिंचाई क्षमता को दोगुना करनें का उल्लेख नहीं है।
55. अवैध शराब की तस्करी का रोकथाम का उल्लेख नहीं है।
56. वर्मी कम्पोस्ट खाद के निर्माण ओर परीक्षण की पर्याप्त व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।
57. सभी विकासखण्डों में फूड पार्क की स्थापना का उल्लेख नहीं है।
58. किसानों के धान विक्रय हेतु रकवा में क्यों कटौती की जा रही का उल्लेख नहीं है।
59. निजी बैंकों से किसान द्वारा लिये गये ऋण का निराकरण का उल्लेख नहीं है।
60. अधोसंरचना विकास कार्य हेतु पर्याप्त धन राशि का उल्लेख नहीं है।
61. बैंक मित्रों द्वारा गरीब जनता का पैसों के गबन की रोकथाम का उल्लेख नहीं है।
62. मजदूरां के पलायन को रोकने का निराकरण का उल्लेख नहीं है।
63. प्रदेश में लचर कानुन व्यवस्था में सुधार का उल्लेख नहीं है।
64. शिक्षक एल.बी. वर्ग कै मृत परिवार में अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान का उल्लेख नहीं है।
65. पुलिस कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश का उल्लेख नहीं है।
66. सरकारी नौकरियों में आउटसोर्सिगं समाप्त के नियम का उल्लेख नहीं है।
67. प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों का पर्याप्त विकास का उल्लेख नहीं है।
68. जंगल को वाईल्ड लाईफ कोरीडोर से जोड़ने का उल्लेख नहीं है।
69. मानव तथा हाथी के संधर्ष की रोकथाम का उल्लेख नहीं है।
70. प्रदेश में सभी चिटफंड में फंसी राशि की वसूली के निराकरण का उल्लेख नहीं है।
71. पुलिस कर्मचारियों के भत्तों में वृद्धि का उल्लेख नहीं है।
72. शहरों में नए तालाबों और पार्को का निर्माण का उल्लेख नहीं है।
73. विद्या मितानों को नियमितीकरण का लाभ का उल्लेख नहीं है।
74. यातायात की समस्या का निराकरण हेतु यातायत प्रबंधन का उल्लेख नहीं है।
75. ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र को नियोजित और संरक्षित तरीके से विकसित कराने का उल्लेख नहीं है।
76. सभी लंबित अनुकंपा नियुक्तियों का तत्काल निराकरण का उल्लेख नहीं है।
77. शिक्षकों को अपग्रेड करने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने ट्रेनिग के बारे में उल्लेख नहीं है।
78. किसानों को दो वर्ष के बकाया धान के बोनस की राशि का उल्लेख नहीं है।

79. लोक कला को बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक जिला मुख्यालय में संस्कृतिक केन्द्र की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

80. प्रत्येक शहारी केन्द्र में 20% ग्रीन एरिया के निर्माण का उल्लेख नहीं है।

81. किसानों के लिये नवीन बीमा पॉलिसीयां प्रारंभ का उल्लेख नहीं है।

82. कृषि शिक्षा को प्राईमरी से हायर सेकेण्डरी पाठ्यक्रम में शामिल का उल्लेख नहीं है।

83. पुलिस कर्मचारियों हेतु पर्याप्त आवास सुविधा का उल्लेख नहीं है।

84. वर्ष भर सिंचाई के लिये जल की व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।

85. प्रत्येक जिले में चिलिंग प्लांट और चिलिंग वाहन का उल्लेख नहीं है।

86. वानिकी एवं उद्यानिकी के अनुसंधान हेतु पर्याप्त सुविधा का उल्लेख नहीं है।

87. भाटापारा में निपनिया– मोपका महाविद्यालय के भवन का निर्माण का उल्लेख नहीं है।

88. अवैध रेत के उत्खनन और मूल्यो में वृद्धि रोकनें का उल्लेख नहीं है।

89. किसानों की फसलों को जानवरों से बचाने का उल्लेख नहीं है।

90. नदी के किनारे बसे हुये ग्रामों में कटाव को रोकने का उल्लेख नहीं है।

91. किसान आयोग की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

92. आरक्षण बिल के कारण शासकीय नौकरियों, भर्ती आदि का उल्लेख नहीं है।

93. वर्षा जल प्रबंधन में प्रगति का उल्लेख नहीं है।

94. सभी पटवारी हल्का में किसान सेवा केन्द्र की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

95. सभी मंडियों में किसानों के मूल भूत सुविधाओं का उल्लेख नहीं है।

96. प्रदेश की सभी नहरों की लाईनिग की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

97. उर्वरकों / डीएपी/ यूरिया की कालाबजारी पर रोक का उल्लेख नहीं है।

98. ग्राम पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के बकाया बिजली बिल के भुगतान हेतु व्यवस्था का का उल्लेख नहीं है।

99. शिक्षक एलबी वर्ग के वेतन विसंगति को दूर करने का उल्लेख नहीं है।

100. पर्यटन स्थलों के विकास के लिये मास्टर प्लान का उल्लेख नहीं है।

101. वैधानिक आयोग की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

102. प्रदेश में धर्मांतरण के मामलों का उल्लेख नहीं है।

103. आत्मानंद विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रणाली का उल्लेख नहीं है।

104. व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा कम परीक्षा लिये जाने का उल्लेख नहीं है।

105. विमानन सेवाओं में नाईट लैडिंग की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

106. प्रदेश सरकार की रोका–छेका अभियान का उल्लेख नहीं है।

107. राजीव युवा मितान क्लब में शासकीय राशि के दुरूपयोग का उल्लेख नहीं है।

108. सूक्ष्म और लघु उद्योगों की स्थापना हेतु स्पष्ट निती का उल्लेख नहीं है।

109. दिव्यांगों की पेंशन को बढाकर 2500/– माह करने का उल्लेख नहीं है।

110. शासकीय प्रशिक्षु (अप्रेंटिस) कार्यक्रम हेतु स्पष्ट निती और क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।

111. प्रदेश में चिकित्सा मित्रों की नियुक्ति का उल्लेख नहीं है।

112. पारंपरिक चरवाहों समूह के लोगों को रोजगार का उल्लेख नहीं है।

113. प्रदेश के सभी स्कूलों में खेल मैदन का उल्लेख नहीं है।

114. खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति बढ़ाने के संबंध का उल्लेख नहीं है।

115. आदिवासी अंचलों में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने वालों पर कार्यावाही करने का उल्लेख नहीं है।

116. प्रदेश के सभी स्कूलों में छात्रं एवं अध्यापकां के मध्य अनुपात को कम किया जाने का उल्लेख नहीं है।

117. देश के महानगरों में युथ हॉस्टल का निर्माण का उल्लेख नहीं है।

118. प्रदेश के प्रत्येक थानों में महिला सेल का गठन का उल्लेख नहीं है।

119. आंगन बाड़ी कार्यकर्ताओं को नर्सरी शिक्षक के रूप में पदोन्नति दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

120. प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों को रोकने हेतु सख्त कदम का उल्लेख नहीं है।

121. प्रदेश में बेजा–कब्जा (अवैध अतिक्रमण) को रोकने का उल्लेख नहीं है।

122. सभी जिले में वृद्धाश्रम की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

123. दिव्यागां को शासन स्तर पर दिये जाने वाली सामग्री का वितरण का उल्लेख नहीं है।

124. अल्पसंख्यकों के विकास हेतु चरणबद्ध कार्यक्रमों का उल्लेख नहीं है।

125. युवाओं को स्थानीय उद्योगों के अनुरूप कौशल विकास कराने का उल्लेख नहीं है।

126. ई– श्रेणी के ठेकेदारों को समय पर भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।

127. गोदान –न्याय योजना में भ्रष्टाचार का उल्लेख नहीं है।

128. प्रदेश में सभी भूमिहिन परिवारों को घर तथा बाड़ी प्रदाय का उल्लेख नहीं है।

129. सरकार के होम स्टेट अधिनियम का उल्लेख नहीं है।

130. मानव तस्करों पर नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।

131. 10–10 पंचायतों के समूहों में कानूनी सहायता केन्द्र खेलने की ओर कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।

132. ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष 4 गैस सिलेंडर प्रदान का उल्लेख नहीं है।

133. छत्तीसगढ़ के बाघों की संख्या में वृद्धि हेतु सकारात्मक कदम का उल्लेख नहीं है।

134. विलुप्त वन्य प्राणियों के संरक्षण संवर्धन हेतु नितियो का उल्लेख नहीं है।

135. डीएमएफ की राशि में भ्रष्टाचार में रोक लगाने का उल्लेख नहीं है।

136. औद्योगिक और अन्य उपयोगों के लिए जल संसाधन को नियंत्रित नहीं किया गया ।

137. शराब बंदी हेतु निर्मित समितियों के रिपोर्ट सार्वजनिक किये जाने का उल्लेख नहीं है।

138. निजी स्कूलों तथा कालेजो। के मनमानी को रोकने हेतु फीस नियामक आयोग की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

139. स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों के कमी में सुधार का उल्लेख नहीं है।

140. प्रदेश के वर्तमान खाद्य प्रणाली में सुधार व संशोधन का उल्लेख नहीं है।

141. निः शुल्क तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

142. भु–माफियाओं पर नियंत्रण हेतु नीतियों / नियमों का उल्लेख नहीं है।

143. सर्व वृद्धावस्था पेंशन योजना में पेंशन में वृद्धि का उल्लेख नहीं है।

144. सड़क दुर्घटनाओं में मृत परिवारों को 50 लाख रू प्रदन का उल्लेख नहीं है।

145. सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने का उल्लेख नहीं है।

146. एक लाख नौकरियों के सृजन का उल्लेख नहीं है।

147. परिवहन सुविधा केन्दों में दलाली रोकने का उल्लेख नही है।

148. आत्महत्या के मामले रोकने का उल्लेख नही है।

149. अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में सरकार असफल रही है।

150. सभी नगर पालिका, निगम, पंचायतों में विकास तथा सफाई के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नही है।

151. प्लास्टिक पूर्ण रूप से प्रतिबंध का उल्लेख नही है।

152. अवैध कोल उत्खनन पर कार्यवाही रोकथाम का उल्लेख नहीं है।

153. प्रदेश के गिने–चुने चिन्हीत क्षेत्रों में ही कृषि यंत्रों का वितरण का उल्लेख नहीं है।

154. प्रदेश में पंचायतों के अधोसंरचना विकास हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

155. कस्टम मिलिंग में मिलर्स समय पर भुगतान की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

156. किसानों को वर्मी कम्पोस्ट खाद लेने के लिये बाध्य किया जा रहा है, उसे रोकने का उल्लेख नहीं है।

157. प्रदेश में आधुनिक मंडी बनाने का उल्लेख नहीं है।

158. प्रदेश की मितानिनो, आंगनबाड़ी कार्यकताओं को सम्मान जनक वेतन प्रदाय दिये जाने का उल्लेख नही है।

159. सड़कों के निर्माण का उल्लेख नहीं है।

160. राज्य के पत्रकारों, वकीलों और डॉक्टरों के संरक्षण का उल्लेख नहीं है।

161. नक्सल समस्या के समाधान हेतु स्पष्ट नीति का उल्लेख नहीं है।

162. लोक पाल अधिनियम लागू का उल्लेख नहीं है।

8. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. कोरबा जिला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र में लेमरू हाथी रिजर्व फारेस्ट एरिया क्रियान्वयन का कोई उल्लेख नहीं है ।
2. अपराधिक प्रकरणों पर अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश में भू–खण्डों की खरीदी–बिक्री में लगे प्रतिबंध हटाने, लंबित प्रकरण को निपटाने का तथा सरलीकरण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
4. रामपुर विधानसभा क्षेत्र में विशेष जनजाति कोरवा, पण्डों, बिरहोर जनजाति के लोगों के जीवनस्तर को बढ़ाने की कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में रकबा काटने तथा उसकी शिकायतों के निराकरण का कोई उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश के वनांचल क्षेत्रों, विशेषकर जनजाति क्षेत्रों में बंद पड़े सामुदायिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रारंभ करने तथा स्वास्थ्य अमले की नियुक्ति किये जाने का उल्लेख नहीं है।
7. कोरोना काल में स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों के क्रय करने के रखरखाव के संबंध में खर्च की गई राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में निःशुल्क उपचार की सुविधा की कार्ययोजना में आयुष्मान योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
9. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत किन–किन वर्षों में कितना निर्माण किया गया का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों के हितों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है ।
11. रामपुर विधानसभा क्षेत्र के मुख्य मार्ग कुदमुदा से श्यांग, कुदमुरा से मदवानी तक पहुंच मार्ग, वनखेता से चाकामार मार्ग निर्माण तथा फरसवाणी (जांजगीर) नदी पर पुल निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश की गौठानों में रह रहे मवेशियों की संख्या का कोई उल्लेख नहीं है।

9. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. किसानों की पूरी फसल क्रय करने की दिशा में सकारात्मक पहल किये जाने संबंधी कोई उल्लेख नहीं है ।
2. जैविक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में कोई उल्लेख नहीं है।
3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाने संबंधी कोई उल्लेख नहीं है ।
4. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासहीनों को पर्याप्त सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी कोई उल्लेख नहीं है।
5. विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किये जाने संबंधी कोई उल्लेख नहीं है।
6. पेण्ड्रा रोड बायपास निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश स्तर में जीर्ण–शीर्ण सड़क मार्गों के नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
8. एशियन डेव्हलपमेंट बैंक की ऋण परियोजना के अंतर्गत विधान सभा कोटा में निर्मित सड़क का अधूरे कार्य का उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में सिंचाई क्षमता बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
10. शुद्ध पेयजल की पर्याप्त सुविधा प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।
11. विशेष पिछड़ी जनजातियों के सरकारी विभागों में सरकारी नौकरी दिलाने का उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश के पहुंच विहीन गांवों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध किये जाने का उल्लेख नहीं है।
13. कुपोषण की समस्या से निजात दिलाने संबंधी कोई उल्लेख नहीं है।
14. महिलाओं के विरूद्ध हो रही घटनाओं की बढ़ोतरी से बचाने हेतु कड़े नियम बनाने का उल्लेख नहीं है ।
15. शहरों को झुग्गी मुक्त कराने में संबंधी कोई उल्लेख नहीं है।
16. राशन दुकानों में मोटा चावल वितरण किये जाने के संबंधी में कोई उल्लेख भी नहीं है।
17. खनिज राजस्व की प्रणाली में पारदर्शिता संबंधी कोई उल्लेख नहीं है।
18. बेरोजगारी की समस्या संबंधी कोई उल्लेख नहीं है।
19. खाद्य नीति संबंधी कोई उल्लेख नहीं है।
20. जीवन उपयोगी वस्तुओं के बढ़ते मूल्य के संबंधी में कोई उल्लेख नहीं है।

21. प्रदेश में ओला वृष्टि से उत्पन्न समस्या संबंधी कोई उल्लेख नहीं है।

22. उद्योगों में लगे मजदूरों के हित संरक्षण संबंधी कोई उल्लेख नहीं है।

23. वनों की अवैध कटाई रोकने संबंधी कोई उल्लेख नहीं है।

10. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. नगर पंचायत लोरमी, जिला–मुंगेली में इंडोर स्टेडियम बनाये जाने का उल्लेख नहीं है ।
2. नगर पंचायत पण्डरिया, जिला–कबीरधाम को नगर पालिका का दर्जा देने का उल्लेख नहीं है ।
3. ग्राम – कोयलारी (कुवां), विकासखण्ड – कवर्धा, विधान सभा पण्डरिया, जिला–कबीरधाम में हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रारंभ करने की स्वीकृति का कोई उल्लेख नहीं है ।
4. ग्राम – कुण्डा, तह – पण्डरिया, जिला – कबीरधाम में नये शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु स्वीकृति का कोई उल्लेख नहीं है ।
5. विधान सभा क्षेत्र लोरमी, जिला–मुंगेली के शासकीय महाविद्यालय लोरमी में स्नातकोत्तर पाठयक्रम (1) वनस्पति विज्ञान एवं (2) रसायन विज्ञान प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है ।
6. छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मान्तरण को रोकने के लिये किसी भी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
7. ग्राम – सुरही, तह. –लोरमी, जिला – मुंगेली में पूर्व माध्यमिक शाला भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
8. ग्राम – मोहतरातेली, तह.–लोरमी, जिला–मुंगेली में पूर्व माध्यमिक शाला भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
9. ग्राम – चचेड़ी, तह – लोरमी, जिला – मुंगेली में प्राथमिक शाला भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
10. वन ग्राम – दानोवार, तह. – लोरमी, जिला – मुंगेली में प्राथमिक शाला भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
11. ग्राम – फुलवारी एफ, तह. – लोरमी, जिला – मुंगेली में हाईस्कूल भवन निर्माण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
12. ग्राम – घानाघाट, तह.– लोरमी, जिला – मुंगेली में हाईस्कूल खोलने के संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं है।
13. ग्राम – खुड़िया, तह– लोरमी, जिला– मुंगेली को राजस्व ग्राम बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

14. ग्राम – कोदवामहंत, तह.–लोरमी, जिला – मुंगेली में हाईस्कूल खोलने के संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं है ।

15. ग्राम – फलवारी एफ, तह. – लोरमी, जिला – मुंगेली में उप स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है ।

16. ग्राम– खुड़िया, तह. – लोरमी, जिला – मुंगेली में अचानकमार टाईगर रिजर्व हेतु प्रवेश द्वार खोलने के संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं है।

17. ग्राम – उरईकछार, तह. – लोरमी, जिला – मुंगेली में मनियारी नदी पर स्टाप डेम निर्माण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

18. ग्राम – गुनापुर, तह. – लोरमी, जिला – मुंगेली में लोक निर्माण विभाग अंतर्गत पक्की सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

19. ग्राम – लालपुर थाना, तह.– लालपुरथाना, जिला – मुंगेली में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मिडियम स्कूल प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

20. ग्राम – रबेली, तह. – लालपुरथाना, जिला – मुंगेली में पूर्व माध्यमिक शाला बोलने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

21. ग्राम – परदेशीकापा, तह. – लोरमी, जिला – मुंगेली में पूर्व माध्यमिक शाला भवन निर्माण के संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं है।

22. छत्तीसगढ़ प्रदेश में हाथियों के आतंक से बचाव एवं एलिफेंट कॉरीडोर के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

23. राज्य के वन्य प्राणियों के शिकार के रोकथाम के लिये कोई उल्लेख नहीं है।

24. लोरमी नगर पंचायत, जिला – मुंगेली, को नगर पालिका का दर्जा देने का कोई उल्लेख नहीं है।

25. ग्राम – सारिसताल, तह. – लोरमी, जिला – मुंगेली में पूर्व माध्यमिक शाला निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

26. प्रदेश के जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ डाक्टरों के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

27. प्रदेश के स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की कमी की पूर्ति का कोई उल्लेख नहीं है।

28. ग्राम – घानाघाट, तह. – लोरमी, जिला – मुंगेली में मनियारी नदी में एनीकट निर्माण का उल्लेख नहीं है।

29. ग्राम – लालपुरथना, तह.–लालपुरथाना, जिला – मुंगेली में कॉलेज निर्माण का उल्लेख नहीं है।

30. ग्राम – पुडिया, तह.–लोरमी, जिला– मुंगेली में अनुसूचित जाति बालक छात्रावास एवं बालिका छात्रावास निर्माण का उल्लेख नहीं है।

31. चकरभांठा, एयरपोर्ट, जिला – बिलासपुर को 4–C केटेगरी का दर्जा देने के लिये 200 एकड़ रक्षा विभाग की जमीन रनवे विस्तार के लिये देने के संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं है।

32. ग्राम – चिल्फी, तह. – लोरमी, जिला – मुंगेली में नवीन थाना भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

33. छत्तीसगढ़ प्रदेश में R T E के तहत निजी विद्यालयों के वर्षों से लंबित अनुदान राशि को कब भुगतान किया जायेगा का उल्लेख नहीं है।

34. विधान सभा – लोरमी, जिला – मुंगेली में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने के संदर्भ में उल्लेख नहीं है।

35. आयुष्मान योजना के तहत, आयुष्मान कार्ड से निजी अस्पतालों में इलाज के आड़ में फर्जी क्लेम के मामले में कोई उल्लेख नहीं है।

36. विद्युत खंभो से हुकिंग कर विद्युत चोरी से करोड़ो की राजस्व नुकसान को रोकने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

37. प्रदेश में आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में निरंतर इजाफा, बढ़ते मौतो की संख्या में रोकथाम के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

38. चिटफण्ड कंपनियों द्वारा प्रदेश के लोगों से ठगी के पैसा वापस दिलाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

39. बस्तर/आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को नक्सलीयों द्वारा की जाने वाली हत्या के मामले में कोई उल्लेख नहीं है।

40. प्रदेश के स्कूलों में आए दिन छेडखानी, दुष्कर्म और बढ़ते घटनाओं की नियंत्रित करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

41. प्रदेश स्थित रेत घाटों से रेत का अवैध उत्खनन/परिवहन से राजस्व क्षति के संबंध/रोक लगाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

42. राजस्व भूमि के नामांतरण/सीमांकन लंबित रहने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

43. प्रदेश में फर्जी दवा कंपनियों द्वारा अमानक, घटिया, डुप्लीकेट दवाईयां बनाने के खिलाफ कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं है।

44. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नशीली दवाईयों की खुलेआम तस्करी, बिक्री पर प्रतिबंध लगाने पर, किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं है।

45. प्रदेश के गांव–गांव, गली–गली में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन पर रोक लगाने का उल्लेख नहीं है।

46. प्रदेश में आए दिन लूट, हत्या, चाकूबाजी, अपहरण, छेडखनी, बलात्कार के रोकथाम करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

47. घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं से बार–बार सुरक्षा निधि के आड में शुल्क बढ़ाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

48. दिव्यांगजनों को स्वरोजगार योजना के तहत दिये गये ऋण पर ब्याज मांफी का उल्लेख नहीं है।

49. व्यवसायिक परीक्षा मंडल एवं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के परिणाम लंबित क्यों रखा गया है का उल्लेख नहीं है।

50. प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने के बारे में उल्लेख नहीं है।

51. प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

11. श्री सौरभ सिंह, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. महादेव एप चलाने वालों पर कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं है ।
2. सीमेंट एवं लौह के दाम कम करने का कोई उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश के विद्यालयों के शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतन प्रदाय करने का कोई उल्लेख नहीं है ।
4. सी.मार्ट में हो रहे नुकसान को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
5. किसानों के रबी फसल के धान खरीदी का कोई उल्लेख नहीं है।
6. कोयला परिवहन में 25 रूपये प्रति टन लेने वाले व्यापारी और अधिकारी पर कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं है।
7. विधायक निधि के अधूरे कार्यो को समय–सीमा में पूर्ण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. आयुष्मान योजना के तहत हितग्राहियों का अतिरिक्त कार्ड बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में 150 दिन मनरेगा के तहत रोजगार देने का कोई उल्लेख नहीं है।
10. प्रधानमंत्री फसल बीमा से कृषकों को मिल रहे लाभ का कोई उल्लेख नहीं है।
11. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से प्रदेश के कृषकों को मिल रहे लाभ का कोई उल्लेख नहीं है।
12. जांजगीर चांपा जिले में परसाही बाना से ढोरला सड़क निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति के बाद टेंडर लगाने का कोई उल्लेख नहीं है ।
13. जांजगीर चांपा जिले में तिलई से मुड़पार सड़क (अकलतारा–विकासखण्ड) के निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
14. सिकासेर बांध के उलट से किसानों को पानी देने का कोई उल्लेख नहीं है ।
15. कोरोवरम बांध से छत्तीसगढ़ के भू–स्वामी को हो रहे नुकसान का कोई उल्लेख नहीं है।
16. प्रदेश में टमाटर और सब्जी से किसानों को हो रहे नुकसान का कोई उल्लेख नहीं है।
17. सभी किसानों का सभी प्रकार का कर्जा माफ होने का उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश में सब्जी प्रसंस्करण में कोई कार्य होने का उल्लेख नहीं है।
19. प्रदेश में लंबित शिक्षक भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।
20. शालाओं में शिक्षकों की कमी का कोई उल्लेख नहीं है।
21. प्रदेश की जर्जर प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के भवनों के पुनर्निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

22. बस्तर में मारे गये भाजपा के कार्यकर्ताओं से शहादत को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
23. अवैध रेत खनन को बंद करने का कोई उल्लेख नहीं है।
24. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार, जेल में बंद शासकीय कर्मचारियों के निलंबन का कोई उल्लेख नहीं है।
25. मुख्यमंत्री ग्राम–सड़क योजना के पुरानी सड़कों को संवर्धन का कोई उल्लेख नहीं है।
26. अवैध शराब बिक्री रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
27. बलौदा में व्यवहार न्यायालय बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
28. मजदूरों का पलायन रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
29. पूर्ण शराबबंदी करने का कोई उल्लेख नहीं है।
30. कोयला खदानों से डीजल, कोयला और लोहा चोरी बंद कराने का कोई उल्लेख नहीं है।
31. प्रदेश की कोयला खदानों का शीघ्र विस्तार करने का कोई उल्लेख नहीं है।
32. वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन कार्ड बनने का कोई उल्लेख नहीं है।
33. भारतमाला एक्सप्रेस हाइवे में किसानों का 30 प्रतिशत कम दर पर जमीन का अधिग्रहण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
34. मनरेगा का विस्तार पशुपालन और सब्जी उत्पादन किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
35. महिला स्व–सहायता समूहों का कर्जमाफी करने का कोई उल्लेख नहीं है।
36. 60 वर्ष के ऊपर उम्र के लोगों को 1000/– पेंशन एवं 75 वर्ष के ऊपर उम्र के लोगों को 1500/– रूपयें पेंशन दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
37. प्रदेश में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितिकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
38. प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा हेतु कोई सुरक्षित व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।
39. प्रदेश में आवेदन अनुसार वनाधिकार का पट्टा नहीं दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
40. प्रदेश की जनता ग्रामीण प्रधानमंत्री योजना से वंचित होने का कोई उल्लेख नहीं है।
41. प्रदेश में जर्जर शाला भवन की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।
42. प्रदेश में नवीन स्कूल खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
43. प्रदेश में निजी स्कूलों को शिक्षा के अधिकार के तहत प्राप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
44. प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात पर आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बनने का कोई उल्लेख नहीं है।
45. प्रदेश में युनिवर्सल हेल्थ स्कीम लागू करने का कोई उल्लेख नहीं है।
46. प्रदेश में मरीजों की निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करने का कोई उल्लेख नहीं है।

47. बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का कोई उल्लेख नहीं है।

48. रोजगारों के समुचित व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।

49. प्रदेश में पुराने बिजली के तारों को बदलने एवं नये ट्रांसफार्मर लगाने के कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

50. मांग अनुरूप बिजली के नवीन विद्युत–वितरण केन्द्र स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

51. प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं का बिजली का बिल आधा करने का कोई उल्लेख नहीं है।

52. बलौदा विकासखण्ड के पहरिया में महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

53. अकलतरा के नरियरा में महाविद्यालय का निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

54. अकलतरा बाय–पास का निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

55. प्रदेश में सम्पत्ति कर आधा करने का कोई उल्लेख नहीं है।

56. प्रदेश के चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वालों को पैसा मिलने का कोई उल्लेख नहीं है।

57. प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में ठेका पद्धति जारी करने का कोई उल्लेख नहीं है।

58. मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में कार्य करने का कोई उल्लेख नहीं है।

59. नक्सल समस्या का निराकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

60. प्रदेश में लावारिस मवेशियों के लिए नई गौशाला निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

61. जांजगीर–चांपा जिले के असिंचित बलौदा विकासखण्ड में सिंचाई की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।

62. प्रदेश में सिंचाई के रकबे में कोई बढ़ोत्तरी करने का कोई उल्लेख नहीं है।

12. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में वर्षा वृद्धि करने हेतु सकारात्मक कदम नहीं है ।
2. मजदूरों का पलायन रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश में अवैध शराग की बिक्री एवं तस्करी को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है ।
4. फर्जी राशन कार्ड की जांच की व्यवस्था किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
5. किसानों को सिंचाई हेतु पम्प कनेक्शन किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
6. जंगलों को बड़े लेक कॉरीडोर से जोड़ने का कोई उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में समस्त पर्यटन स्थलों का पर्याप्त विकास होने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. राज्य सरकारी के सरकारी नौकरी में अन्डर सोर्सिंग को समाप्त करने का कोई उल्लेख नहीं है।
9. शिक्षक एल.बी. परिवार वर्ग को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में कानून व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।
11. बैंक में किसानों का ऋण माफ किये जाने का उल्लेख नहीं है ।
12. इसरण्डम विकास हेतु पर्याप्त राशि नहीं है।
13. निजी बैंकों से किसानों द्वारा लिये गए ऋण माफी का कोई उल्लेख नहीं है ।
14. किसानों के धान विक्रय करने में रकबा में कटौती का उल्लेख नहीं है।
15. वर्मी कम्पोस्ट खाद निर्माण एवं परीक्षण हेतु पर्याप्त व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।
16. प्रदेश में शराब तस्करी रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
17. सिंचाई क्षमता को दोगुना करने का उल्लेख नहीं है।
18. गायों की मौत एवं गौशाला में पर्याप्त सुविधाओं का कोई उल्लेख नहीं है।
19. नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
20. रोजगार आयोग की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।
21. स्कूलों में लड़कियों की छेड़खानी की समस्या गंभीर है।
22. प्रदेश में हत्या, चाकूबाजी पर नियंत्रण का कोई उल्लेख नहीं है।
23. प्रदेश के विकासखण्डों में फूड पार्क स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।
24. प्रदेश में कैम्पा मद में भ्रष्टाचार हो रहा है।
25. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि का कोई उल्लेख नहीं है।
26. प्रदेश में ऋण पास करने का कोई उल्लेख नहीं है।

27. विद्युत उत्पादन की क्षमता में वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।

28. आदिवासी क्षेत्रों के ग्रामों को 1–1 करोड़ की राशि देने का कोई उल्लेख नहीं है।

29. ओ.पी.एस. एवं एन.पी.एस. पेंशन नीति का कोई उल्लेख नहीं है।

30. नशे का अवैध कारोबार बढ़ रहा है।

31. युवाओं को रोजगार देने का कोई उल्लेख नहीं है।

32. बेरोजगारी भत्ता देने का कोई उल्लेख नहीं है।

13. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. बेलतरा विधान सभा के खारंग जलाशय को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का उल्लेख नहीं है।
2. सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के ईलाज में छूट या निःशुल्क ईलाज करने हेतु किसी उपाय का उल्लेख नहीं है ।
3. बढती सड़क दुर्घटना को रोकने के उपाय का उल्लेख नहीं है।
4. किसानों के रबी धान का खरीदने का उल्लेख नहीं है।
5. पुलिस को आधुनिक साज–सज्जा, जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट आदि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
6. पुलिस आवास गृह निर्माण का उल्लेख नहीं है।
7. राज्य के मेडिकल कॉलेजों में स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में सीट बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
8. यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम का कोई उल्लेख नहीं है।
9. बिलासपुर जिले के बेलतरा को नगर पंचायत बनाने का उल्लेख नहीं है।
10. नाबार्ड से सहायता प्राप्त योजनाओं, परियोजनाओं का उल्लेख नहीं है।
11. बेलतरा विधान सभा के असिचिंत क्षेत्र बेलतरा, बाम्हू, टेकर नेवसा, गिधौरी, मिल्मी माड़ी, अकलतरी गढ़वर को लिफ्ट एंटीगेशन से जोड़ने का उल्लेख नहीं है ।
12. मछली पालकों को हाईटेक प्रशिक्षण, उन्नत बीज व जाल देने का उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्य में प्रगति लाने हेतु किसी योजना का उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु किसी योजना का उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश में श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों को निःशुल्क राशि व सामग्री प्रदाय करने की योजना फिर से प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
16. शराब में सेस लगाने से प्राप्त राशि के खर्च का उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश में नई उद्योग लगाने हेतु निजी योजना का उल्लेख नहीं है।
18. केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही निःशुल्क खाद्य में भारी अनियमितता को रोकने हेतु उपाय का उल्लेख नहीं है।
19. प्रदेश के वनों की अवैध रूप से कटाई का कोई उल्लेख नहीं है।
20. बिलासपुर के सीवरेज परियोजना को पूर्ण करने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

21. कोरोना में पीड़ित परिवार व्यक्ति की सहायता करने की योजना का उल्लेख नहीं है।
22. प्रदेश की रेत खदानों को पंचायतों को देने का उल्लेख नहीं है।
23. प्रदेश में माफियाओं द्वारा अवैध भूमि कब्जा अवैध प्लाटिंग को रोकने के उपाय का उल्लेख नहीं है।
24. ओल्ड पेंशन स्कीम में नगरीय निकाय के कर्मचारियों को लेने का प्रावधान करने का उल्लेख नहीं है।
25. प्रदेश में बढ़ती नशाखोरी को रोकने के उपाय का उल्लेख नहीं है।
26. बेलतरा विधान सभा के खारंग जलाशय मेलनाडीह से मस्तूरी तक नहर रोड को बनाने उल्लेख नहीं है।
27. खारंग जलाशय को अहिरन नदी में जोड़ने की योजना का उल्लेख नहीं है।
28. बेलतरा के हाई स्कूलों का उन्नयन का उल्लेख नहीं है।
29. बेलतरा को विकासखण्ड बनाने का उल्लेख नहीं है।
30. बेलतरा में कॉलेज खोलने का उल्लेख नहीं है।
31. स्कूल रसोईयों के वेतन में वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।
32. पुलिस कल्याण योजना, साप्ताहिक अवकाश, तृतीय चतुर्थ वर्ग के पुलिस कर्मचारियों के आवास एवं बच्चों की शिक्षा हेतु पुलिस कल्याण कोष को शासकीय अनुदान देने का उल्लेख नहीं है।
33. प्रदेश के नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ घर तक पहुंचाकर देने की योजना का उल्लेख नहीं है।
34. शहरी क्षेत्रों में संपत्ति कर माफ करने की योजना का उल्लेख नहीं है।
35. चिटफंड कंपनी निवेश करने वाले निवेशकों का पैसा वापस करने का उल्लेख नहीं है।
36. शासकीय विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती करने की योजना उल्लेख नहीं है।
37. दिव्यांगों में जन प्रतिनिधि को बढ़ाने महिला व पुरूष दिव्यांग को पंचायतों में मनोनीत करने का उल्लेख नहीं है।
38. पर्यटन स्थलों के विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार करने रोजगार के अवसर बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
39. प्रदेश में बढ़ रही हाथियों की समस्या और मानव व हाथी के संघर्षो को कम करने की योजना का उल्लेख नहीं है।

40. राज्य में पत्रकारों, वकीलों, डॉक्टरों को संरक्षण देने हेतु विशेष कानून बनाने का उल्लेख नहीं है।

41. नक्सल समस्या के समाधान व उन्मूलन प्रमाणित पंचायतों को विशेष दर्जा देने का उल्लेख नहीं है।

42. प्रदेश में लोकपाल अधिनियम लागू करने की योजना का उल्लेख नहीं है।

43. गौठानों में पशु को रखने उनके खाने–पीने की व्यवस्था व देख–रेख करने की योजना का उल्लेख नहीं है।

44. प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में फूड पार्क स्थापित करने की योजना का उल्लेख नहीं है।

45. किसानों के सिंचाई क्षेत्रों को दुगुना करने व सिंचाई शुल्क माफ करने की योजना का उल्लेख नहीं है।

46. प्रदेश में जल संसाधन नीति बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

47. 2013 के बाद अधिग्रहित भूमि का चार गुना मुआवजा देने के प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है।

48. मनरेगा मजदूरों को 150 दिवस रोजगार देने का उल्लेख नहीं है।

49. रेडी टू ईट महिला स्व सहायता समूह को देने का उल्लेख नहीं है।

50. महिला स्व सहायता समूह का कर्जमाफी का उल्लेख नहीं है।

51. 75 वर्ष अधिक आयु के नागरिकों को 1500/– रूपये प्रतिमाह देने की योजना का उल्लेख नहीं है।

52. वृद्ध पेंशन 60 वर्ष के नागरिकों को 1000/– रूपये प्रतिमाह देने की योजना का उल्लेख नहीं है।

53. वृहत बनाये गये बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के नवीन शामिल क्षेत्रों के विकास, मूलभूत सुविधा हेतु राशि उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

54. बिलासपुर नगर निगम के अरपा पार क्षेत्र को अलग से नगर निगम बनाने का उल्लेख नहीं है।

55. शासकीय कर्मचारियों को क्रमोन्नति, पदोन्नति एवं चार स्तरीय वेतनमान लागू करने की योजना का उल्लेख नहीं है।

56. बढ़ते अपराध, नशाखोरी को रोकने के लिये कोई ठोस उपाय का उल्लेख नहीं है।

57. शहरी क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्तियों को आवास देने की योजना का उल्लेख नहीं है।

58. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने नियमित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

59. प्रदेश के सभी विभागों के अनियमित, संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।

60. प्रदेश के लगभग 14 लाख गरीब आवासहीन ग्रामीणों को आवास देने का उल्लेख नहीं है।

61. प्रदेश के लोगों को मुफ्त ईलाज (स्मार्ट कार्ड) को फिर से प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

62. युवाओं को 2500/– बेरोजगारी भत्ता देने का उल्लेख नहीं है।

63. किसानों के कृषि पंपों के स्थायी कनेक्शन के पेकिंग आवेदनों को कनेक्शन देने का उल्लेख नहीं है।

64. किसानों के दो वर्ष का बकाया बोनस राशि देने का उल्लेख नहीं है।

65. किसानों के कृषि पंपों का लाईन कटौती किया जा रहे कटौती बंद करने का उल्लेख नहीं है।

66. प्रदेश में शराब बंदी का उल्लेख नहीं है।

67. प्रदेश के किसानों के राष्ट्रीय कृत बैंको का ऋण माफ करने का उल्लेख नहीं है।

14. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. शिक्षित युवा बेरोजगारो को रोजगार देने में सरकार असफलता रही है।
2. नक्सली गतिविधियों को कम करने में सरकार सफलता नहीं मिली है।
3. प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, प्रताड़ना रोकने में सरकार असफल रही है।
4. प्रदेश सरकार हाथी मानव द्वंद रोकने में असफल है।
5. जल जीवन मिशन योजना का लक्ष्य हासिल करने सरकार असफल रही है।
6. पन्द्रहवें वित्त की राशि का ग्राम पंचायतों में सही तरीके से उपयोग करने में सरकार को सफलता नहीं मिली है।
7. स्कूलों में अहाता निर्माण में सफलता नहीं मिली है।
8. लोक निर्माण विभाग अपनी सड़कों की मरम्मत, नवीनीकरण करने में सरकार असफल रही है।
9. आयुष्मान योजना में समस्त बीमारियों के ईलाज की सुविधा नहीं मिल रही है।
10. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में पर्याप्त राशि देने में सफलता नहीं मिली है।
11. आर.टी.ई की राशि निजी स्कूलों को समय पर नहीं मिल रही है।
12. मंडी शुल्क में बढ़ोतरी से किसानों को नुकसान हो रहा है।
13. चिटफण्ड के निवेशकों को राशि दिलाने में सफलता नहीं मिली है।
14. जल जीवन मिशन योजना को सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है।
15. किसानों को दो वर्ष का बकाया बोनस नही मिला है।
16. तीर्थ यात्रा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।
17. संविदा, दैनिक वेतनभोगी, अनियमित कर्मचारियों का नियमितिकरण नहीं हुआ है।
18. अवैध प्लाटिंग रोकने में सफलता नहीं मिली है।
19. अवैध रेत परिवहन रोकने में सफलता नहीं मिली है।
20. प्रधानमंत्री आवास देने में सफलता नहीं मिली है।
21. भूमिहीन लोगों को भूमि नहीं मिली है।
22. सिंचाई कर माफ नहीं हुआ है।
23. शराब बंदी नहीं की गई है।

24. महिला स्वसहायता समूहों का कर्जा माफ नहीं हुआ है ।
25. सहकारी समितियों में कर्मचारियों की नियुक्ति नही हो रही है ।
26. भ्रष्टाचार रोकने में सफलता नहीं मिली है।
27. नगरीय निकाय क्षेत्र में सम्पत्ति कर आधा नहीं हुआ है ।
28. किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद–बीज नहीं मिल रहे हैं।
29. अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी है।
30. स्कूलों में विशेष शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है।
31. प्रदेश के महाविद्यालयों में व्याख्याताओं की कमी है।
32. प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है।
33. पूरे प्रदेश में नशा का अवैध काराबार चल रहा है।
34. लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही है।
35. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कलेक्टर दर में मानदेय नहीं मिल रहा है।
36. बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है।
37. समस्त विकलांगों को पेंशन नहीं मिल रही है।
38. विधवा महिलाओं को पेंशन नहीं मिल रही है।
39. किसानों को स्थायी पंप कनेक्शन नहीं मिल रहा है।
40. बिजली कटौती की समस्या है।
41. धमतरी विधानसभा में जिला सहकारी बैंक की शाखा की कमी है।

15. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में कार्यरत आँगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों का वेतन बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है ।
2. प्रदेश में बहनों के साथ बलात्कार अपहरण जैसी हो रहे जघन्य अपराध में अंकुश लगाने का कोई उल्लेख नहीं है ।
3. प्रदेश में कार्यरत मितानिन बहनों के प्रोत्साहन राशि में बढ़ोत्तरी का कोई उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश में डॉक्टर, नर्स की कमी को पूर्ण करने का कोई उल्लेख नहीं है ।
5. प्रदेश में कार्यरत बिजली विभाग के कर्मचारियों की मांगों का कोई उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश के वृद्धजनों की पेंशन बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने का कोई उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में बढ़ती चोरी, डकैती, लूट की घटना पर अंकुश लगाने का कोई उल्लेख नहीं है।
10. शराब बंदी का कोई उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी का कोई उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

16. श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. जिला–गरियाबंद के देवभोग में सिविल अस्पताल बनाने का कोई उल्लेख नहीं है ।
2. जिला–गरियाबंद के गोहरापदर में संचालित महाविद्यालय हेतु नवीन भवन निर्माण करने कोई उल्लेख नहीं है।
3. जिला–गरियाबंद के मंदाकमुड़ा से झरियाबाहरा तक सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश के युवा बेरोजगारों को 2500 रूपये बेरोजगारी भत्ता देने का कोई उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में निराश्रित पेंशन 1500 रूपये दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
6. जिला–गरियाबंद के ग्राम परसूली में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है ।
7. जिला–गरियाबंद के ग्राम–सुपेबेड़ा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
8. जिला–गरियाबंद के ग्राम–बेलारनाला में उच्च स्तरीय पुल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
9. जिला–गरियाबंद के ग्राम–कुट्टीमाल से उड़ीसा सीमा तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
10. जिला–गरियाबंद के ग्राम– खरीपथरा में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
11. जिला–गरियाबंद के ग्राम–गुजरा में संचालित हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन का कोई उल्लेख नहीं है।
12. जिला–गरियाबंद के ग्राम–मुड़ागांव में संचालित मीडिल स्कूल का हाई स्कूल में उन्नयन का कोई उल्लेख नहीं है।
13. जिला–गरियाबंद के ग्राम–उसरीपानी से उड़ीसा सीमा तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
14. जिला–गरियाबंद के ग्राम–देवभोग से उड़ीसा सीमा तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
15. जिला–गरियाबंद के अमलीपदर में तहसील कार्यालय भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

16. जिला–गरियाबंद के मैनपुर में एस.डी.एम. कार्यालय हेतु भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
17. जिला–गरियाबंद के झाखरपारा में सहकारी बैंक खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
18. 200 फूडपार्क की व्यवस्था करने का कोई उल्लेख नहीं है।
19. स्कूल तथा कॉलेज के विद्यार्थियों को परिवहन की मुफ्त सुविधा उपलबध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।
20. सभी शहरी नागरिकों को 2 बीएचके आवास प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।
21. 60 वर्षीय किसानों को 1000 रूपये व 75 वर्षीय किसानों को 1500 रूपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।
22. लोकपाल अधिनियम में मुख्यमंत्री और मंत्री को भी लाये जाने का उल्लेख नहीं है।
23. पेट्रोल व डीजल में वेट टैक्स कम करने का कोई उल्लेख नहीं है।
24. प्रदेश में सिकलसेल के मरीजों को निःशुल्क ईलाज किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
25. निजी स्कूलों की मनमानी रोकने फीस नियामक आयोग के गठन करने का उल्लेख नहीं है।
26. नक्सल समस्याओं के समाधान के लिए कोई नीति का उल्लेख नहीं है।
27. मेडिकल कॉलेजों को मल्टी स्पेशियलिटी अस्पतालों में परिवर्तन करने का कोई उल्लेख नहीं है।
28. छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारियों के लिए चार स्तरीय समयमान वेतनमान का कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
29. छात्राओं को निःशुल्क गणवेश एवं पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
30. सरगुजा, बस्तर एवं सुपेबेड़ा में हवाई एम्बुलेंस की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।
31. राज्य कर्ज में डूब रहा है, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है।
32. भू–माफिया बढ़ रहे हैं, रोकथाम के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।
33. कृषकों को पेंशन योजना में जोड़ने का कोई उल्लेख नहीं है।
34. प्रदेश में सीवरेज का पानी नदी में जाने से रोकने हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
35. प्रदेश में सीमेंट के दामों में वृद्धि की गई है, इसके रोकथाम की कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

17. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में झुग्गी मुक्त करते हुए बेहतर आवास दिलाने के दिशा में मेरे जमीन, मेरे मकान, मेरे चिनहारी का कोई प्रावधान नहीं है ।
2. बलौदा बाजार विधानसभा के सभी गांव व गौठानों में पशुपालन का कोई प्रावधान नहीं है।
3. प्रदेश के किसानों को का उल्लेख नहीं है ।
4. प्रदेश के किसानों को केन्द्रिया व राज्यों की योजनाओं की जानकारी को जागरूक किये जाने का उल्लेख नहीं है।
5. बलौदा बाजार विधानसभा के सभी क्षेत्रों में बेरोजगारों को भत्ता देने का उल्लेख नहीं है।
6. बलौदा बाजार विधानसभा में तिल्दा ग्राम–टण्डवा में कॉलेज का कोई उल्लेख नहीं है।
7. बलौदा बाजार विधानसभा में ग्राम–अर्जुनी में कॉलेज का कोई उल्लेख नहीं है।
8. बलौदा बाजार विधानसभा के तिल्दा सरफेंगा से भरभेरा रोड मार्ग का कोई उल्लेख नहीं है।
9. बलौदा बाजार विधानसभा तिल्दा टण्डवा में उप–स्वास्थ्य केन्द्र (हेल्थ एण्ड वेलनेश) को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का कोई उल्लेख नहीं है।
10. बलौदा बाजार विधानसभा में पारागांव से सलोनी सड़क मार्ग का उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश के आँगनबाड़ी एवं सहायिका एवं कार्यकर्ता मानदेय का कोई उल्लेख नहीं है।
12. बलौदा बाजार विधानसभा के अंतर्गत क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने का उल्लेख नहीं है ।
13. बलौदा बाजार विधानसभा हाऊसिंग बोर्ड लोहका कॉलोनी जल आपूर्ति किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश में कार्यरत स्वास्थ्य विभाग के ग्रामीण स्वास्थ्य के संयोजकों के वेतनमान में 2800 ग्रेड पे किये जाने का उल्लेख नहीं है ।
15. प्रदेश के दिवंगत शिक्षको के परिवार की विधवा महिलाओं के लिए अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।
16. प्रदेश में कार्यरत स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमलो जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक को मोबाईल भत्ता प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।
17. बलौदा बाजार में बाय–पास बनाने का उल्लेख नहीं है।

18. बलौदा बाजार जिले में सीमेंट फैक्टरी से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम का उल्लेख नहीं है।
19. बलौदा बाजार विधानसभा तिल्दा में अवैध प्लाटिंग को रोकने का उल्लेख नहीं है।
20. बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी गांव में नहर का कोई उल्लेख नहीं है।
21. बलौदा बाजार विधानसभा के सभी गांवों में पी.एम. आवास का उल्लेख नहीं है।
22. बलौदा बाजार विधानसभा के तिल्दा, तुलसी नेवरा में खेल मैदान बनाने का उल्लेख नहीं है।
23. बलौदा बाजार विधानसभा में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षा उपरांत चयनित अभियार्थियों के संबंध में उल्लेख नहीं है।
24. बलौदा बाजार विधानसभा के तिल्दा से करकवा रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।
25. बलौदा बाजार विधानसभा तिल्दा टण्डवा से पुरानी बस्ती से छोड़ापारा तक पहुंच मार्ग का कोई उल्लेख नहीं है।
26. बलौदा बाजार विधानसभा तिल्दा टण्डवा भाटापार जोरा माईनर विस्तारी का कोई उल्लेख नहीं है।
27. बलौदा बाजार विधानसभा तिल्दा टण्डवा दैहान पारा में पानी टंकी का कोई उल्लेख नहीं है।
28. बलौदा बाजार विधानसभा तिल्दा टण्डवा को नगर पंचायत बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
29. बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र में सरकारी उचित मूल्य की दुकान तथा ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
30. बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र में कॉलेजों में प्रध्यापकों की कमी के संबंध में उल्लेख नहीं है।
31. बलौदा बाजार विधानसभा में सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
32. बलौदा बाजार विधानसभा लड़वा से ताराशिव मार्ग का उल्लेख नहीं है।
33. बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र में आबकारी विभाग में सुपरवाईजर एवं सेल्समेन की भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।
34. बलौदा बाजार विधानसभा के फूलवारी में शासकीय शाला भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
35. बलौदा बाजार विधानसभा पडकीडीह से रावन सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

36. बलौदा बाजार विधानसभा से कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु नवीन उद्यानिकी एवं कृषि विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय का कोई उल्लेख नहीं है।

37. बलौदा बाजार विधानसभा अंतर्गत तिल्दा नेवरा में शासकीय अस्पताल में ब्लड बैंक का कोई उल्लेख नहीं है।

38. बलौदा बाजार अंतर्गत तिल्दा नेवरा में बिल्हा जाने में पुलिया जीर्णोद्धार का कोई उल्लेख नहीं है।

39. बलौदा बाजार विधानसभा में तिल्दा रोहड़ा से भिलौनी पुल–पुलिया निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

40. बलौदा बाजार विधानसभा में तिल्दा सतभांवा से कोटा रोड निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

41. बलौदा बाजार विधानसभा के तिल्दा मोहगांव से पौवसरी रोड निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

42. बलौदा बाजार विधानसभा के तिल्दा बिलाड़ी सिनोधा से भाटापारा सारवा नहर निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

43. बलौदा बाजार विधानसभा के अंतर्गत तिल्दा कुम्हारी जलाशय गंगरेल जोड़े जाने के कोई उल्लेख नहीं है।

44. बलौदा बाजार विधान सभा के तिल्दा ब्लॉक में प्राथमिक शाला व पूर्व माध्यमिक शाला में अंशकालीन स्वीपन और शिक्षक का कोई उल्लेख नहीं है।

45. बलौदा बाजार विधान सभा पशु चिकित्सालय स्टॉफ की बेहद की कमी है, जानवरों हेतु दवाई का कोई उल्लेख नहीं है।

46. बलौदा बाजार विधान सभा में पीएससी भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

47. प्रदेश में रेत का रायॅलटी राशि एवं अवैध खनन का कोई उल्लेख नहीं है।

48. बलौदा बाजार विधानसभा तिल्दा,मानपुर परसदा मार्ग का कोई उल्लेख नहीं है।

49. बलौदाबाजार विधान सभा तिल्दा मोहगांव मोहदी बगदाई मंदिर के पास पुलिया निर्माण करने का उल्लेख नहीं है ।

50. बलौदाबाजार विधान सभा तिल्दा में बायोटेक्निकल कॉलेज के प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

51. बलौदाबाजार विधान सभा तिल्दा के शासकीय हॉस्पिटल में 100 बिस्तर का बनाने का उल्लेख नहीं है ।

52. बलौदाबाजार विधान सभा तिल्दा से जोता अंडरब्रिज के प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

53. बलौदाबाजार विधान सभा तिल्दा में कृषि महाविद्यालय के प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

54. बलौदाबाजार विधान सभा तुलसी से सरकोंगा पहुंच मार्ग के मरम्मत कार्य का उल्लेख नहीं है।

55. बलौदाबाजार विधान सभा में ग्राम–घोघा में शाला भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

56. बलौदाबाजार विधान सभा के अंतर्गत सभी क्षेत्रों के विकास करने का उल्लेख नहीं है।

57. बलौदाबाजार विधान सभा के सभी गांव में पशु गाय को गौठान में रखने के प्रावधानों का उल्लेख नहीं है।

58. बलौदाबाजार विधान सभा में जिला व ब्लॉक चिकित्सालयों में डॉक्टर, ब्लड टेस्ट की सुविधा तथा मशीनों हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

59. बलौदाबाजार विधान सभा तिल्दा में एसडीएम तहसील निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

60. बलौदाबाजार विधान सभा में शिक्षकों की भर्ती करने का उल्लेख नहीं है ।

61. बलौदाबाजार विधान सभा के तिल्दा एपीओ ऑफिस से गरीब किसानों को छूट प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

62. बलौदाबाजार विधान सभा में सुहेला में कॉलेज हेतु कोई उल्लेख नहीं है ।

63. बलौदाबाजार विधान सभा तिल्दा से सासा होली डिवाइडर का उल्लेख नहीं है।

64. बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र के गांवों की स्कूलों में खेल का सामान उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

65. बलौदाबाजार विधान सभा में कन्या महाविद्यालय प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

66. बलौदाबाजार विधान सभा में सुहेला में मिनि स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

67. बलौदाबाजार विधान सभा तिल्दा में पटवारियों पर नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।

68. बलौदाबाजार विधान सभा तिल्दा बीएचबी में मिनि क्रिकेट स्टेडियम निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

69. बलौदाबाजार विधान सभा में गोठानों का चारागा निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

70. बलौदाबाजार विधान सभा तिल्दा सिनोधा रोड से शराब भट्टी हटाने का उल्लेख नहीं है।

71. बलौदाबाजार विधान सभा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की समस्याओं के निराकरण का उल्लेख नहीं है।

72. बलौदाबाजार विधान सभा के क्षेत्रों में बड़े किसान पौरा दान का उल्लेख नहीं है।

73. बलौदाबाजार विधान सभा तिल्दा सरकोंगा मिडिल स्कूल में नल जल जीर्णोद्धार का उल्लेख नहीं है।

74. प्रदेश में पारम्परिक खेलों का छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक का राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

75. बलौदाबाजार विधान सभा के सभी ब्लॉक में अपाहिज असहाय लोगों के लिये रोजगार प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

76. बलौदाबाजार विधान सभा तिल्दा क्षेत्र के सभी गांव में महिला संगठनों हेतु कोई प्रावधानों का उल्लेख नहीं है।

77. बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र के गांवों में प्रवेश द्वारा निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

78. बलौदाबाजार विधान सभा तिल्दा क्षेत्र के गांवों में सर्वसमाज भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

79. बलौदाबाजार विधान सभा तिल्दा में कन्या छात्रावास हेतु प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

80. बलौदाबाजार विधान सभा तिल्दा क्षेत्र के सभी प्लांट के प्रदूषण के रोकथाम करने का उल्लेख नहीं है।

81. बलौदाबाजार विधान सभा तिल्दा कुम्हारी जलाशय को गहरीकरण करने का उल्लेख नहीं है।

82. बलौदाबाजार विधान सभा तिल्दा चांपा से तिल्दा पहुंच मार्ग निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।